

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार



वित्तीय
दिशा-निर्देश
-राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

2017-18



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : District, PMU

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Human Resource

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.2.2.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के सफल संचालन एवं अनुश्रवण के लिए पूर्व संचालित 14 चयनित जिलों यथा-बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में आच्छादित 8 नये जिले यथा-औरंगाबाद, बक्सर, पूर्वी चम्पारण, जहानाबाद, नवादा, सीवान, वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण में जिला कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई का प्रावधान किया गया है।

पूर्व चयनित 14 जिलों के लिए प्रत्येक DPMU में 01 जिला शहरी स्वास्थ्य सलाहकार का प्रावधान किया गया है तथा नये आच्छादित 8 जिलों में से मात्र 01 जिला पश्चिमी चम्पारण में DPMU के लिए 01 जिला शहरी स्वास्थ्य सलाहकार का प्रावधान किया गया है।

इकाई राशि रू० में : 63.00 लाख

वित्तीय दिशा-निर्देश :

SL. No.	Particulars	Salary per Month	No. of Post.	Total 12 Month Salary
1	जिला शहरी स्वास्थ्य सलाहकार (जिला-भागलपुर एवं कटिहार)	35,000	02	8,40,000
2	जिला शहरी स्वास्थ्य सलाहकार (जिला-बेगुसराय, भोजपुर, दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण)	35,000	12	50,40,000
3	जिला शहरी स्वास्थ्य सलाहकार (जिला-पश्चिमी चम्पारण)	35,000	01	4,20,000
Total				63,00,000.00

उक्त पदों का मानदेय उपरोक्त सारणी के स्तंभ-3 में अंकित है, तदनुसार मानदेय का भुगतान किया जाए। उपर्युक्त पदों के मानदेय में वार्षिक वृद्धि के संदर्भ में अलग से निदेश निर्गत किया जाएगा जिसके उपरांत ही वार्षिक वृद्धि मान्य होगी।

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक-5454, दिनांक-28.08.2015 के द्वारा अतिरिक्त कार्य प्रभार वाले जिला शहरी स्वास्थ्य सहाहकार को, अतिरिक्त प्रभार जिला द्वारा रू० 5000/- प्रतिमाह Lump-Sum राशि का भुगतान किया जाना है (अनुलग्नक-'क' एवं 'ख' पर संलग्न है)।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो० मसऊद आलम/कुमार नयन

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं० : 9473197722/9386041609

SFM-NUHM

SPM-NUHM

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



An ISO 9001:2008 Certified Agency

जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा0प्र0से0
कार्यपालक निदेशक

सं0सं0 : SHSB/GA/HR/1249/14

पत्रांक : _____

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- अध्यक्ष

सभी सिविल सर्जन -सह- सदस्य सचिव

जिला स्वास्थ्य समिति, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, भोजपुर, नालंदा, कटिहार,
बेगुसराय, सहरसा, सारण, मुंगेर, रोहतास, गया एवं पूर्णियाँ।

पटना, दिनांक

विषय : राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) के तहत जिला शहरी स्वास्थ्य सलाहकार (District Urban Health Consultant) के पदों के नियोजन के संबंध में।

महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत जिला शहरी स्वास्थ्य सलाहकार के संविदागत पदों पर नियोजन कर आपके जिला में निम्नवत् पदस्थापित किया जाता है -

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पदस्थापन जिला का नाम	अतिरिक्त आवंटित जिला का नाम
1	2	3	4
1	Chandrakanta Kumari	Patna	Begusarai
2	Md. Masoom Iqbal	Darbhanga	Saharsa
3	Deshraj Singh Dohare	Mazuffarpur	Saran
4	Dayanand Mishra	Bhagalpur	Munger
5	Maneesh Kumar Tripathi	Bhojpur	Rohtash
6	Jayshree Chorma	Nalanda	Gaya
7	Mr. Quaiser Eqbal	Katihar	Purnea

उपर्युक्त नवचयनित अभ्यर्थियों को निम्न शर्तों के अधीन नियोजन करना सुनिश्चित किया जाय :-

1. जिला शहरी स्वास्थ्य सलाहकार के पदों हेतु मानदेय Rs. 35000/- (पैंतीस हजार रुपैया मात्र) प्रतिमाह देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी राशि देय नहीं होगी।
2. उपरोक्त नवचयनित अभ्यर्थियों का अनुबंध स्तम्भ 3 में अंकित मूल पदस्थापन जिला में प्रथमतः 11 माह के लिए किया जायेगा संविदा कर्मियों के सतोषप्रद कार्य, पदों की आवश्यकता/सरकार से अनुमोदन एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर संविदा अवधि का विस्तार अधिकतम तीन वर्षों के लिए किया जा सकेगा।
3. स्तम्भ 4 में अंकित जिला अतिरिक्त प्रभार के रूप में आवंटित किया जाता है।

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)



परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा,
पटना- 800 014.

स्वस्थबिहार
समृद्ध बिहार

(Handwritten mark)

दूरभाष: 0612-2290340, 2281545, फैक्स: 2290322,
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

86

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



An ISO 9001:2008 Certified Agency

4. नव पदस्थापित जिला शहरी स्वास्थ्य सलाहकार मूल पदस्थापन वाले जिला में सप्ताह के प्रथम तीन कार्य दिवस (सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार) तथा शेष तीन कार्य दिवस (बृहस्पतिवार, शुक्रवार एवं शनिवार) को अतिरिक्त प्रभार वाले जिलों में रहकर आवंटित कार्यो का सम्पादन करेंगे।

सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव को निदेश दिया जाता है कि नवचयनित अभ्यर्थियों का योगदान दिनांक 25.08.2015 तक नियमानुकूल करवाना सुनिश्चित करें एवं दिनांक 27.08.2015 तक कृत कार्रवाई से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत करायें।

विश्वासभाजन,


ह0/-
(जितेन्द्र श्रीवास्तव)

ज्ञापाक 5454

पटना, दिनांक: 20/08/2015

प्रतिलिपि:

- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य -सह- मुख्य कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रशासी पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, (NUHM) राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- उपरोक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि नवपदस्थापित जिलों में उक्त निर्धारित तिथि के अंदर अविलम्ब योगदान देना सुनिश्चित करें।


कार्यपालक निदेशक

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा,
पटना - 800 014.



दूरभाष: 0612-2290340, 2281545, फैक्स: 2290322.
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



An ISO 9001:2008 Certified Agency

जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा0प्र0से0
कार्यपालक निदेशक-सह-विशेष सचिव

पत्रांक:-SHSB/SPM/236/2015

दिनांक:-.....

सेवा में,

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति,

(भागलपुर, भोजपुर, कटिहार, मुंगेर, पूर्णिया, रोहतास)।

विषय:- जिला शहरी स्वास्थ्य सलाहकार को अतिरिक्त जिला के प्रभार के लिए Lump-sum राशी भुगतान के संबंध में।

प्रसंग:- SHSB के पत्रांक 5454 दिनांक 28/08/2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि दिनांक 07/12/15 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई Governing Body कि बैठक में प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिलों में कार्यरत जिला शहरी स्वास्थ्य सलाहकारों को अतिरिक्त आवंटित जिला के लिए प्रतिमाह रू0 5000/- (पांच हजार) का Lump-sum राशी देय होगा।

अतः निदेशित है कि शहरी स्वास्थ्य सलाहकारों को आवंटित किये गये अतिरिक्त प्रभार वाले जिला हेतु रू 5000/- (पांच हजार) Lump-sum राशी प्रतिमाह का भुगतान उपस्थिति पंजी के आधार पर करना सुनिश्चित किया जाय।

जिसका भुगतान अतिरिक्त प्रभार वाले जिला के द्वारा NUHM मद से FMR Code-2.2.1 से किया जा सकता है, जब तक की वहाँ पर उक्त पद पर नियुक्ति नहीं हो जाती है।

विश्वासभाजन

ह0/

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)

ज्ञापांक.....489.....
प्रतिलिपि:

पटना, दिनांक.....21/01/16.....

- संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ प्रेषित।
- संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
- संबंधित जिला कार्यक्रम प्रबंधक/लेखा प्रबंधक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।
- संबंधित जिला शहरी स्वास्थ्य सलाहकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



कार्यपालक निदेशक-सह-विशेष
सचिव

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा,
पटना- 800 014.

दूरभाष: 0612-2290340, 2281545, फैक्स: 2290322,
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Program Management District PMU

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Mobility Support

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.2.2.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के कार्य का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु पूर्व संचालित 14 जिलों यथा-बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में NUHM अंतर्गत आच्छादित 8 नये जिले में से मात्र 01 जिला पश्चिमी चम्पारण के DPMU के लिए 25,000 प्रतिमाह की दर से मोबिलिटी सपोर्ट के तहत वाहन सुविधा दी जानी है। इस राशि का उपयोग जिला/प्रभारी शहरी स्वास्थ्य सलाहकार, जिला लेखा प्रबंधक एवं आवश्यकतानुसार जिला स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारियों के लिए NUHM अंतर्गत क्षेत्र भ्रमण, अनुश्रवण हेतु मोबिलिटी सपोर्ट में वाहन की उपलब्धता हेतु किया जाना है।

कुल राशि रू० में : 35.25 लाख

वित्तीय दिशा-निर्देश :

SL. No.	Particulars	Amount per Month	Total Amount
1	जिला कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई (जिला-भागलपुर एवं पूर्णिया)	25,000	6,00,000 (25,000 x 2 District x 12 Months)
2	जिला कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई (जिला-बेगुसराय, भोजपुर, दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, कटिहार रोहतास, सहरसा एवं सारण)	25,000	27,00,000 (25,000 x 12 District x 09 Months)
3	जिला कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई (जिला-पश्चिमी चम्पारण)	25,000	2,25,000 (25,000 x 1 District x 09 Months)
Total			35,25,000

उक्त राशि का व्यय बिहार वित्त नियमावली तथा जिला स्तर पर किये गये वाहन हेतु दर अनुबंध का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो० मसरुद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं० : 9473197722/9386041609


SFM-NUHM


SPM-NUHM

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Program Management, DPMU

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Administrative Expenses
(Including Review Meeting, Workshop, etc)

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.2.2.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पूर्व संचालित 14 जिलों यथा-बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में NUHM अंतर्गत आच्छादित 8 नये जिले में से मात्र 01 जिला पश्चिमी चम्पारण के DPMU के लिए जिला में कार्यक्रम के सफल संचालन और प्रबंधन हेतु DPMU कार्यालय और अन्य दैनिक खर्च के लिये रू0 10,000/-प्रतिमाह उपलब्ध करायी जा रही है जिससे प्रिंटिंग स्टेशनरी, इंटरनेट, UPHC के कर्मियों का Review Meeting, Workshop एवं अन्य कार्यालय खर्च किया जा सकता है ।


कुल राशि रू0 में : 14.10 लाख

वित्तीय दिशा-निर्देश :

S.No.	Particulars	Amount per Month	Total Amount
1	जिला कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई (जिला-भागलपुर एवं पूर्णिया)	10,000	2,40,000 (10,000 x 2 District x 12 Months)
2	जिला कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई (जिला-बेगुसराय, भोजपुर, दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, कटिहार रोहतास, सहरसा एवं सारण)	10,000	10,80,000 (10,000 x 12 District x 09 Months)
3	जिला कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई (जिला-पश्चिमी चम्पारण)	10,000	90,000 (10,000 x 1 District x 09 Months)
Total			14,10,000

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो0 मसऊद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं0 : 9473197722/9386041609


SFM-NUHM


SPM-NUHM

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Program Management, DPMU

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Any Other Activity

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.2.2.4

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में आच्छादित 8 नये जिले में से मात्र 01 जिला पश्चिमी चम्पारण के DPMU के लिए कार्यालय स्थापना हेतु 1,50,000/- की राशि उपलब्ध करायी जा रही है, जिसका उपयोग जिला स्वास्थ्य समिति में एक NUHM कोषांग गठित करने हेतु उस पर होने वाले व्यय पर किया जा सकता है।


कुल राशि रू० में : 1.50 लाख

वित्तीय दिशा-निर्देश :

इस मद में उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोग जिला स्वास्थ्य समिति में NUHM कोषांग के गठन हेतु One Time Office Set-up expenses यथा-कार्यालय का Minor Renovation, Computer Set , Printer, Furniture आदि का क्रय पर व्यय किया जा सकता है ।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो० मसरुद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं० : 9473197722/9386041609


SFM-NUHM


SPM-NUHM

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Program Management, CPMU Patna

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Human Resource

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.2.3.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन हेतु विशेष रूप से पटना शहर में शहरी कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई (CPMU) का गठन किया गया है। जिसके माध्यम से शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के संचालन में आवश्यक सहयोग, परामर्श एवं अनुश्रवण का कार्य सुचारु रूप से किया जा सके। CPMU में निम्न मानव संसाधन हेतु वेतन के मद में राशि आवंटित की जा रही है :-

कुल राशि रू0 में : रू0-16.50 लाख

वित्तीय दिशा-निर्देश :

SL. No.	Particulars	Salary per Month	No. of Post.	Total 12 Month Salary
1	City Urban Health Consultant	35,000	01	4,20,000
2	City Urban Health Finance Consultant	30,000	01	3,60,000
3	City Urban Health Community Process and M&E Consultant	30,000	01	3,60,000
4	City Urban Health MIS Consultant	30,000	01	3,60,000
5	Data Entry Operator	12,500	01	1,50,000
Total -				16,50,000

उक्त पदों का मानदेय उपरोक्त सारणी के स्तंभ-3 में अंकित है, तदनुसार मानदेय का भुगतान किया जाए। उपर्युक्त पदों के मानदेय में वार्षिक वृद्धि के संदर्भ में अलग से निदेश निर्गत किया जाएगा जिसके उपरांत ही वार्षिक वृद्धि मान्य होगी।

डाटा इंट्री ऑपरेटर के वेतन मद में EPF की राशि FMR सं0 P.1.2 में आवंटित की जा रही है।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो0 मसरुद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं0 : 9473197722/9386041609

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Program Management, CPMU, Patna

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Mobility Support

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.2.3.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:

पटना शहर में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु विशेष रूप से पटना शहर में शहरी कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई का गठन किया गया है जिसके लिए पटना शहर में कार्यक्रम के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए Mobility Support हेतु 25,000/- प्रतिमाह का प्रावधान किया गया है।

कुल राशि रू0 में : 3.00 lakhs

वित्तीय दिशा-निर्देश :

उक्त राशि का व्यय बिहार वित्त नियमावली तथा जिला स्तर पर किये गये वाहन हेतु दर अनुबंध का अनुपालन करते हुए किया जाएगा ।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो0 मसऊद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं0 : 9473197722/9386041609

SFM-NUHM

SPM-NUHM

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Program Management, City CPMU, PATNA

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Administrative Expenses(Including Review Meeting, Workshop, etc)

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.2.3.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण: पटना शहरी कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई हेतु कार्यक्रम के सफल संचालन और प्रबंधन हेतु CPMU कार्यालय और अन्य दैनिक खर्च के लिये रू0 25,000/- प्रतिमाह उपलब्ध करायी जा रही है जिससे प्रिंटिंग स्टेशनरी, इंटरनेट, Review Meeting, Workshop एवं अन्य कार्यालय खर्च किया जा सकता है ।


कुल राशि रू0 में : 3.00 lakhs

वित्तीय दिशा-निर्देश : उक्त मद में आवंटित राशि का व्यय CPMU के कार्यालय दैनिक कार्यालय, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इंटरनेट, टेलीफोन बिल, Review Meeting, Workshop एवं आवश्यकतानुसार आदि में किया जा सकता है ।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो0 मसऊद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं0 : 9473197722/9386041609



SFM-NUHM



SPM-NUHM

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Orientation of Urban Local Bodies(ULB)

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Orientation of Urban Local Bodies(ULB)

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.3.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पूर्व से संचालित राज्य के 14 जिलों यथा-बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण में UPHC के माध्यम से मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जा रही है तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में NUHM अंतर्गत आच्छादित 08 नये जिले यथा-औरंगाबाद, बक्सर, पूर्वी चम्पारण, जहानाबाद, नवादा, सीवान, वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण में UPHC का संचालन प्रस्तावित है। समाज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया कराने हेतु अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित की जानी है। इस कड़ी में स्थानीय निकाय (ULB) की महत्वपूर्ण भूमिका है। शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं को स्थानीय नगर निकाय के साथ अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है।

उपरोक्त जिलों के अंतर्गत कुल 25 शहरों यथा-औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, आरा, बक्सर, दरभंगा, मोतिहारी, बेतिया, बगहा, गया, जहानाबाद, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, नवादा, पटना, दानापुर, पूर्णिया, सासाराम, डेहरी डालमिया नगर, सहरसा, सारण, सीवान एवं हाजीपुर में अवस्थित स्थानीय शहरी निकायों (नगर निगम एवं नगर परिषद) के सदस्यों यथा- स्थानीय वार्ड सदस्य, मेयर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों का उन्मुखीकरण करवाया जाना है।

कुल राशि रू0 में : कुल राशि: 5.50 लाख

वित्तीय दिशा-निर्देश : प्रत्येक जिला में स्थानीय शहरी निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2 उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित किया जाना है। जिसके लिए प्रति कार्यशाला रू0 12,000/- का प्रावधान किया गया (पटना जिला के लिए रू0 23,000/-प्रति कार्यशाला) है। जिसका उपयोग उक्त कार्यशाला में होने वाले व्यय किया जाना है।

इस मद में उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोग प्रति जिला 2 ULB का उन्मुखीकरण में किया जाना है। किसी कारणवश राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाने की स्थिति में वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में पुनः ULB का एक Refreshment Orientation/ Training प्रदान करते हुए राशि का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाना है।

उक्त कार्यशाला का विस्तृत Budget Break up अनुलग्नक-क पर संलग्न है।


संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो0 मसऊद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं0 : 9473197722/9386041609


SFM-NUHM


SPM-NUHM

Annexure-A						
ROP/FMR Budget Head:P.3.1						
Budget Break up of UrbanLocal Body(ULB) under NUHM						
(Orientation of Urban Local Body (ULB))						
Duration of Orientation-		1 Days				
Participants -		Urban Local Body (ULB), DHS & RPMU				
Organised by		District Health Society				
Budget Break up(Total Participants - 30)						
Sl. No.	Time line	Particular	Unit Cost/per day	Total Participant	Total days	Total cost for 1 days/per batch of 30 Participants
1	2nd & 3rd Qtr.	Stationary (Pen, Note pad, Folder, NUHM Guidelines, Xerox etc.)	105	30	1	3,150
2		Tea, Lunch	225	30	1	6,750
3		Miscellaneous(Projector, PA System, Banner, IEC Material, Photocopy etc.)	0	0	1	2,100
Total						12,000


SFM-NUHM


SPM-NUHM



राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Training Orientation of ANM, Staff Nurse and Pharmacist

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Training Orientation of ANM, Staff Nurse and Pharmacist

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.3.2.1

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत पूर्व से संचालित राज्य के 14 जिलों यथा-बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण के लिए कुल 405 ए0एन0एम0, 243 स्टाफ नर्स एवं 81 फार्मासिस्ट का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना है।



कुल राशि रू0 में : रू0-7.29 लाख

वित्तीय दिशा-निर्देश : ए0एन0एम0, स्टाफ नर्स तथा फार्मासिस्ट का प्रशिक्षण संलग्न अनुलग्नक-क एवं ख के अनुसार भागलपुर, तिरहुत, मगध, पटना एवं पूर्णिया क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई द्वारा संपन्न कराया जाना है।

इस मद में उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोग कुल 405 ए0एन0एम0, 243 स्टाफ नर्स एवं 81 फार्मासिस्ट को प्रशिक्षण दिया जाना है। किसी कर्मी की नियुक्ति नहीं होती है या पद रिक्त रहता है या अन्य किसी कारण से प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षण में भाग नहीं लिये जाने के कारण राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाने की स्थिति में वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में पुनः जितने भी उक्त कर्मी कार्यरत हैं उन्हें एक Refreshment Orientation/Training प्रदान करते हुए राशि का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाना है।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो0 मसऊद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं0 : 9473197722/9386041609


SFM-NUHM


SPM-NUHM 


Annexure-A										
FMR Code-3.2.1(Training/Orientation of ANM/SN/Pharmacist)										
ANM/SN/Pharmacist Training Division Wise Fund Allocation										
Sl. No.	District & City	No.of sanctioned UPHC	SN	ANM	Pharmacist	Total Participants	Training			Total Budget
							Name of Division	Total ANM/SN	No. Of Batches (Per batch 30 participants)	
1 & 2	Danapur(16) Patna(49)	24	72	120	24	216	Patna	279	9	279000
3	Bhojpur (Ara)	4	12	20	4	36				
4	Rohtas (Sasaram)	3	9	15	3	27				
5	Begusarai	4	12	20	4	36	Bhagalpur	153	5	153000
6	Bhagalpur	8	24	40	8	72				
7	Munger	5	15	25	5	45				
8	Darbhanga	6	18	30	6	54	Muzaffarpur	108	4	108000
9	Muzaffarpur	4	12	20	4	36				
10	Saran (Chapra)	2	6	10	2	18				
11	Gaya	8	24	40	8	72	Gaya	108	4	108000
12	Nalanda (Bihar Sharif)	4	12	20	4	36				
13	Katihar	1	3	5	1	9	Purnea	81	3	81000
14	Purnea	6	18	30	6	54				
15	Saharsa	2	6	10	2	18				
	Total	81	243	405	81	729		729	24	729000


SFM-NUHM


SPM-NUHM 

Annexure-B						
FMR Code-3.2.1(Training/Orientation of ANM/SN/Pharmacist)						
Duration of the training -	1 Days					
Participants -	UPHCs ANM/SN/Pharmacist					
Venue -	Divisional level					
Budget Break up (Per Batch of 30)						
Sl. No.	Time line	Particular	Unit Cost/per day	Total Participant	Total days	Total cost for 2 days/per batch
1	2nd & 3rd Qtr	Stationary One time (Pen, Note pad, Folder, Xerox etc.)	80	30	1	2,400
2		Tea, Lunch & Dinner	200	32	1	6,400
3		TA per participants (To and From) Fixed	300	30	1	9,000
4		DA for participant	300	30	1	9,000
5		TA for two resource person (To and From) Fixed @ Rs.200/ per person	2 person x @ Rs.200	2	1	400
6		Honorarium for two resource person @Rs.500/per day	2 person x @ Rs.500	2	1	1,000
7		Miscellaneous per batch(PA System, Projector, Banner,IEC Material,Photocopy Other Contingency etc.)			30	1
						30,000


SFM-NUHM


SPM-NUHM

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Training/ Orientation of Medical Officer

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Training/ Orientation of Medical Officer

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.3.2.2

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पूर्व से संचालित राज्य के 14 जिलों बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण के लिए कुल 162 चिकित्सा पदाधिकारी (पूर्णकालिक एवं अंशकालिक) या UPHC पर प्रतिनियुक्त चि० पदा० को प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण किया जाना है। प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण हेतु प्रत्येक चिकित्सा पदाधिकारी (पूर्णकालिक एवं अंशकालिक) के लिए राशि 2,500/- (दो हजार पांच सौ रुपये मात्र) आवंटित की जा रही हैं।

कुल राशि रू० में : 4.05 लाख

(रू० 2,500 x {81 पूर्णकालिक चिकित्सा पदाधिकारी + 81 अंशकालिक चिकित्सा पदाधिकारी})


वित्तीय दिशा-निर्देश :

चिकित्सा पदाधिकारी (पूर्णकालिक एवं अंशकालिक) का प्रशिक्षण संलग्न अनुलग्नक-क एवं ख के अनुसार भागलपुर, तिरहुत, मगध, पटना एवं पूर्णिया क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई द्वारा संपन्न कराया जाना है।

इस मद में उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोग हेतु कुल 162 चिकित्सा पदाधिकारी (पूर्णकालिक एवं अंशकालिक) को प्रशिक्षण दिया जाना है। यदि किसी पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं होती है या पद रिक्त रहता है या अन्य किसी कारण से प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षण में भाग नहीं लिये जाने के कारण राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाने की स्थिति में वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में पुनः जितने भी उक्त कर्मी कार्यरत हैं उन्हें एक Refreshment Orientation प्रदान करते हुए राशि का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाना है।


संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो० मसरूद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं० : 9473197722/9386041609


SFM-NUHM


SPM-NUHM

Annexure-A							
FMR Code-3.2.2 (Training/Orientation of MO(FT+PT))							
MO(FT+PT) Training Division Wise Fund Allocation							
Sl. No.	District & City	No.of sanctioned UPHC	MO(FT+PT)	Training			Total Budget
				Name of Division	Total MO(FT+PT)	No. Of Batches (Per batch 20 participants)	
1 & 2	Danapur(16) Patna(49)	24	48	Patna	62	3	155000
3	Bhojpur (Ara)	4	8				
4	Rohtas (Sasaram)	3	6				
5	Begusarai	4	8	Bhagalpur	34	2	85000
6	Bhagalpur	8	16				
7	Munger	5	10				
8	Darbhanga	6	12	Tirhut	24	1	60000
9	Muzaffarpur	4	8				
10	Saran (Chapra)	2	4				
11	Gaya	8	16	Magadh	24	1	60000
12	Nalanda (Bihar Sharif)	4	8				
13	Katihar	1	2	Purnea	18	1	45000
14	Purnea	6	12				
15	Saharsa	2	4				
	Total	81	162		162	8	405000


SFM-NUHM


SPM-NUHM

Annexure-B						
FMR Code-3.2.2 (Training/Orientation of MO (FT+PT))						
Duration of the training -	1 Days					
Participants -	UPHCs MO (FT+PT)					
Venue -	Divisional level					
Budget Break up (Per Batch of 20)						
Sl. No.	Time line	Particular	Unit Cost/per day	Total Participant	Total days	Total cost for 1 days/per batch
1	2nd & 3rd Qtr	Stationary One time (Pen, Note pad, Folder, Bag, Xerox etc.)	350	20	1	7,000
2		Tea, Lunch	350	24	1	8,400
3		Venue Charges	3000		1	3,000
4		TA per participants (To and From) Fixed	600	20	1	12,000
5		DA for participant	600	20	1	12,000
6		TA for Four resource person (To and From) Fixed @ Rs.600/ per person	4 person x @ Rs.600	2	1	2,400
7		Honorarium for Four resource person @Rs.600/per day	4 person x @ Rs.600	2	1	2,400
8		Miscellaneous per batch(PA System, Projector, Banner,IEC Material,Photocopy Other Contingency etc.)				1
Total						50,000


SFM-NUHM


SPM-NUHM

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Training/ Orientation of Specialist

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Training/ Orientation of Specialist

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.3.2.3

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पूर्व से संचालित राज्य के 14 जिलों बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में चयनित नये 08 जिलों में संचालित UPHC को सुदृढ़ करने हेतु राज्य के 9 चिकित्सा महाविद्यालय के 50 विशेषज्ञ चिकित्सकों का प्रशिक्षण /उन्मुखीकरण कराते हुए उनकी सेवा उक्त UPHC पर सप्ताह में 01 दिन या आवश्यकतानुसार ली जानी है । जिसके लिए प्रति विशेषज्ञ चिकित्सक 40,000/-रु0 की राशि आवंटित की जा रही है ।

कुल राशि रु0 में : रु0 5.00 लाख

वित्तीय दिशा-निर्देश :

इस मद में उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोग राज्य स्तर से 09 चिकित्सा महाविद्यालय के 50 विशेषज्ञ चिकित्सकों का प्रशिक्षण कराया जाना है ।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो0 मसरुद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं0 : 9473197722/9386041609

SFM-NUHM

SE

SPM-NUHM

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Training/ Orientation of RKS

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Training/ Orientation of RKS

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.3.2.4

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत पूर्व से संचालित राज्य के 14 जिलों बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण में संचालित प्रत्येक UPHC पर रोगी कल्याण समिति का गठन किया गया है। रोगी कल्याण समिति के गठनोपरान्त उनके सदस्यों एवं कार्यकारिणी को सुदृढ करने हेतु रोगी कल्याण समिति के लिए उन्मुखीकरण किया जाना है । जिसके लिए प्रति रोगी कल्याण समिति 6150 रू0 का प्रावधान किया गया है ।

कुल राशि रू0 में : रू0 4.98 लाख

वित्तीय दिशा-निर्देश :

रोगी कल्याण समिति के सदस्यों का उन्मुखीकरण, कार्यशाला में होने वाले व्यय संलग्न अनुलग्नक-“क” के अनुसार संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति में किया जाएगा ।

इस मद में उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोग हेतु कुल 81 RKS (सदस्यों) को प्रशिक्षण दिया जाना है । किसी कारण से प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षण में भाग नहीं लिये जाने के कारण राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाने की स्थिति में वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में पुनः जितने भी उक्त RKS सदस्य कार्यरत हैं उन्हें एक Refreshment Orientation/Training प्रदान करते हुए राशि का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाना है ।

इस संदर्भ में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा पूर्व निर्गत पत्रांक-1765, दिनांक-09.03.16 संलग्न ।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो0 मसरुद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं0 : 9473197722/9386041609

SFM-NUHM

SPM-NUHM



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



An ISO 9001:2008 Certified Agency

पत्र संख्या—SHSB/SPM/NUHM/RKS/262/2016

जितेन्द्र श्रीवास्तव, मा0प्र0से0

कार्यपालक निदेशक

—सह—

सचिव, स्वास्थ्य विभाग

सेवा में,

सिविल सर्जन सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति,

बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर,

मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण।

पटना, दिनांक—.....

विषय: शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगी कल्याण समिति के गठन करने हेतु दिशा-निर्देश का प्रेषण।

महाशय,

विदित हो कि राज्य में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रत्येक 50 हजार शहरी जनसंख्या पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सभी स्वास्थ्य संस्थानों में रोगी कल्याण समिति का गठन किया गया है। इसी तर्ज पर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रोगी कल्याण समिति का गठन किया जाना है। उसके संबंध में दिशा-निर्देश की प्रति सलगन की जा रही है।

2. रोगी कल्याण समिति के गठन एवं निवधान के बाद प्रत्येक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए राशि आवंटित की जायेगी, जिसका उपयोग शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सुदृढीकरण एवं आवश्यकतानुसार किये गये विभिन्न कार्यों में की जायेगी।

3. अब अनुरोध है कि सभी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रोगी कल्याण समिति का तदनुसार गठन एवं निवधान करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

अनुलग्नक—यथाक्त।

विश्वारंभाजन

20 / -

ज्ञापक..... 1745.....

पटना, दिनांक..... 9/3/16..... (जितेन्द्र श्रीवास्तव)

प्रतिलिपि:

- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- संबंधित जिला पदाधिकारी सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय अपर/उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- संबंधित जिलों के जिला कार्यक्रम प्रबंधक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- संबंधित जिलों के जिला स्वास्थ्य सलाहकार-NUHM को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक निदेशक—सह—
सचिव

44



परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा,
पटना- 800 014.

स्वास्थ्य विभाग
समूह बिहार

दूरभाष: 0612-2290340, 2281545, फैक्स: 2290322,
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

Annexure-A						
ROP/FMR Budget Head:P.3.2.4						
Budget Break up of RKS under NUHM						
(Orientation of RKS)						
Duration of Orientation-		1 Days				
Participants -		RKS Members, UPHCs &DHS				
Organised by -		District Level				
Budget Break up(Total Participants - 20)						
Sl. No.	Time line	Particular	Unit Cost/per day	Total Participant	Total days	Total cost for 1 days/per batch of 20 Participants
1	2 nd & 3 rd Qtr.	Stationary (Pen, Note pad, Folder etc.)	70	20	1	1,400
2		Tea, Lunch	180	20	1	3,600
3		Miscellaneous(Projector, PA System, Banner, IEC Material, Photocopy etc.)	0	0	1	1,150
Total						6,150


SFM-NUHM


SPM-NUHM 

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Training/ Orientation on Quality Assurance

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Training/ Orientation on Quality Assurance

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.3.2.5

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पूर्व से संचालित राज्य के 14 जिलों बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण के लिए कुल 162 चिकित्सा पदाधिकारी (पूर्णकालिक एवं अंशकालिक) या UPHC पर प्रतिनियुक्त चि0 पदा0, 243 स्टाफ नर्स एवं 81 DEO को Quality Assurance प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण हेतु प्रत्येक प्रतिभागी के लिए राशि 617.28/- (एक हजार अठाइस रुपये मात्र) आवंटित की जा रही हैं।

कुल राशि रू0 में : 3.00 लाख

(रू0 617.28 x {81 पूर्णकालिक चिकित्सा पदाधिकारी + 81 अंशकालिक चिकित्सा पदाधिकारी + 243 स्टाफ नर्स + 81 DEO}) = कुल 486 प्रतिभागी

वित्तीय दिशा-निर्देश :

Quality Assurance प्रशिक्षण संलग्न अनुलग्नक-क एवं ख के अनुसार भागलपुर, तिरहुत, मगध, पटना एवं पूर्णिया क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई द्वारा संपन्न कराया जाना है।

इस मद में उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोग हेतु उपरोक्त कुल 486 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जाना है। किसी पदाधिकारी/कर्मि की नियुक्ति नहीं होती है या पद रिक्त रहता है या अन्य किसी कारण से प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षण में भाग नहीं लिये जाने के कारण राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाने की स्थिति में वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में पुनः जितने भी उक्त कर्मि कार्यरत हैं उन्हें Quality Assurance पर एक Refreshment Orientation/Training प्रदान करते हुए राशि का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाना है।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो0 मसरूद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं0 : 9473197722/9386041609


SFM-NUHM


SPM-NUHM

Annexure-A

FMR Code-3.2.5 (Training/Orientation of Quality Assurance)

MO(FT+PT) Training Division Wise Fund Allocation

Sl. No.	District & City	No.of sanctioned UPHC	MO(FT+PT)	SN	DEO	Total	Training			Total Budget
							Name of Division	Total Participants	No. Of Batches (Per batch 20 participants)	
1 & 2	Danapur(16) Patna(49)	24	48	72	24	144	Patna	186	9	114814.08
3	Bhojpur (Ara)	4	8	12	4	24				
4	Rohtas (Sasaram)	3	6	9	3	18				
5	Begusarai	4	8	12	4	24	Bhagalpur	102	5	62962.56
6	Bhagalpur	8	16	24	8	48				
7	Munger	5	10	15	5	30				
8	Darbhanga	6	12	18	6	36	Tirhut	72	4	44444.16
9	Muzaffarpur	4	8	12	4	24				
10	Saran (Chapra)	2	4	6	2	12				
11	Gaya	8	16	24	8	48	Magadh	72	4	44444.16
12	Nalanda (Bihar Sharif)	4	8	12	4	24				
13	Katihar	1	2	3	1	6	Purnea	54	3	33333.12
14	Purnea	6	12	18	6	36				
15	Saharsa	2	4	6	2	12				
	Total	81	162	243	81	486		486	24	299998.08



SFM-NUHM





SPM-NUHM

Duration of the training -		1 Days				
Participants -		UPHCs MO(FT+PT)+SN+DEO				
Venue -		Divisional level				
Budget Break up (Per Batch of 20)						
Sl. No.	Time line	Particular	Unit Cost/per day	Total Participant	Total days	Total cost for 1 days/per batch
1	2nd & 3rd Qtr	Stationary One time (Pen, Note pad, Folder, Xerox etc.)	50	20	1	1,000
2		Tea, Lunch	150	22	1	3,300
3		TA per participants (To and From) Fixed	300	20	1	6,000
4		TA for Four resource person (To and From) Fixed @ Rs.300/ per person	2 person x @ Rs.300	2	1	600
5		Honorarium for Four resource person @Rs.600/per day	2 person x @ Rs.300	2	1	600
6		Miscellaneous per batch(PA System, Projector, Banner, IEC Material, Photocopy Other Contingency etc.)				1
						12,345



SFM-NUHM

SPM-NUHM

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Training/ Orientation on HMIS/ICT

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Training/ on HMIS/ ICT

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.3.2.7

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पूर्व से संचालित राज्य के 14 जिलों बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण में कार्यरत कुल 243 कर्मियों का HMIS/ICT विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है, जिसके लिए 1,46,000/- रू० की राशि आवंटित की जा रही है ।

कुल राशि रू० में : रू० 1.46 लाख

वित्तीय दिशा-निर्देश :

इस मद में उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोग UPHC पर कार्यरत कुल 243 कर्मियों (MO-FT-81 MO-PT-81 + DEO-81) का HMIS/ICT विषय पर प्रशिक्षण राज्य स्तर से कराया जाना है ।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो० मसरुद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं० : 9473197722/9386041609

SFM-NUHM

SPM-NUHM

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन
क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Training Orientation of SPMU, DPMU and CPMU

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Training Orientation of SPMU, DPMU and CPMU

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.3.2.8

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण: राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं CPMU स्तरीय मानव संसाधन का प्रशिक्षण, उन्मुखीकरण कराया जाना है। ताकि कर्मियों के कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके। साथ ही शहरी स्वास्थ्य मिशन को बेहतर एवं उत्तम ढंग से संचालित किसी एक राज्य का भ्रमण किया जाना है, जिसका उद्देश्य उस राज्य में शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत की जाने वाली अच्छी योजनाएँ एवं कार्यनीति को देखना, समझना एवं उसका अनुश्रवण करते हुए राज्य में क्रियान्वयन किया जा सके।


कुल राशि रू0 में : कुल राशि: 5 लाख

वित्तीय दिशा-निर्देश :

Training Orientation of SPMU, DPMU and CPMU तथा Exposure Visit to better performing state on NUHM का आयोजन राज्य स्तर से किया जाना है।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो0 मसऊद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं0 : 9473197722/9386041609


SFM-NUHM


SPM-NUHM

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Strengthening of Health Services ANM

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): UPHC- ANM Salary

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.4.1.1.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:

राष्ट्रीय शहरी मिशन स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पूर्व से संचालित राज्य के 14 जिलों यथा-बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण में प्रत्येक U-PHC पर 5 ANM की नियुक्ति की जानी है, ताकि शहरी स्वास्थ्य सेवाओं में गति प्रदान की जा सकें। प्रत्येक UPHC पर कार्यरत ANM अपने क्षेत्र में Outreach service प्रदान करेंगी एवं सम्बन्धित Urban Primary Health Centre में पदस्थापित होगी।

कुल राशि: ₹0-279.45 लाख (Rs 11,500 Salary x 405 ANMX 6 month)

वित्तीय दिशा-निर्देश :

SL. No.	Name of Post	Salary per Month	No. of Post.	Total 6 Month Salary
1	ANM	11,500	405	2,79,45,000
Total				2,79,45,000

ANM के वेतन मद में EPF की राशि FMR सं० P.1.2 में आवंटित की जा रही है ।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो० मसरुद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं० : 9473197722/9386041609



SFM-NUHM



SPM-NUHM

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन
क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Strengthening of Health Services Human Resource

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): UPHC- Staff Nurse Salary

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.4.1.2.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

राष्ट्रीय शहरी मिशन स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पूर्व से संचालित राज्य के 14 जिलों यथा-बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण में प्रत्येक U-PHC पर प्रत्येक UPHC में 3 Staff Nurse की नियुक्ति की गयी है, ताकि शहरी स्वास्थ्य सेवाओं गति प्रदान की जा सकें। प्रत्येक UPHC पर कार्यरत Staff Nurse अपने संबंधित UPHC में पदस्थापित होंगी तथा मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने में चिकित्सकों को सहयोग करेंगी।

कुल राशि:-583.00 लाख (Rs 20,000 Salary x 243 ANMX 12 month)

वित्तीय दिशा-निर्देश :

SL. No.	Name of Post	Salary per Month	No. of Post.	Total 12 Month Salary
1	Staff Nurse	20,000	243	58320000
Total				5,83,20,000

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो0 मसरुद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं0 : 9473197722/9386041609


SFM-NUHM


SPM-NUHM

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Strengthening of Health Services Human Resource

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): UPHC-Medical Officer
(Full Time) Salary

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.4.1.3.1.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पूर्व से संचालित राज्य के 14 जिलों बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 01 Medical Officer, MBBS (Full Time) की नियुक्ति की गयी है, जो संबंधित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशानुसार मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करते हुए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की संपूर्ण गतिविधियों/ योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे।

कुल राशि रू० में : 359.64 लाख {Rs. 37,000 x 81MO(Full Time) x12 Month}}

वित्तीय दिशा-निर्देश :

SL. No.	Name of Post	Salary per Month	No. of Post.	Total 12 Month Salary
1	Medical Officer(Full Time)	37,000	81	35964000
Total				3,59,64,000

उक्त पदों का मानदेय उपरोक्त सारणी के स्तंभ-3 में अंकित है, तदनुसार मानदेय का भुगतान किया जाए। उपर्युक्त पदों के मानदेय में वार्षिक वृद्धि के संदर्भ में अलग से निर्देश निर्गत किया जाएगा जिसके उपरांत ही वार्षिक वृद्धि मान्य होगी।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो० मसरुद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं० : 9473197722/9386041609

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Strengthening of Health Services Human Resource

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): UPHC-Medical Officer (Part Time) Salary

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.4.1.3.1.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पूर्व से संचालित राज्य के 14 जिलों बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 01 Medical Officer, MBBS (Part Time) की नियुक्ति की गयी है, जो संबंधित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशानुसार मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करते हुए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की संपूर्ण गतिविधियों/ योजनाओं का क्रियान्वयन में उक्त शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत पूर्णकालिक चिकित्सा पदाधिकारी का सहयोग करेंगे।

कुल राशि रू० में : 204.12 लाख {Rs. 21,000 x 81MO(Part Time) x12 Month}}

वित्तीय दिशा-निर्देश :

SL. No.	Name of Post	Salary per Month	No. of Post.	Total 12 Month Salary
1	Medical Officer(Part Time)	21,000	81	20412000
Total				2,04,12,000

उक्त पदों का मानदेय उपरोक्त सारणी के स्तंभ-3 में अंकित है, तदनुसार मानदेय का भुगतान किया जाए। उपर्युक्त पदों के मानदेय में वार्षिक वृद्धि के संदर्भ में अलग से निदेश निर्गत किया जाएगा जिसके उपरांत ही वार्षिक वृद्धि मान्य होगी।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो० मसरुद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं० : 9473197722/9386041609

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन
क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Strengthening of Health Services Human Resource

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): UPHC-Pharmacists Salary

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.4.1.7.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पूर्व से संचालित राज्य के 14 जिलों यथा-बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 01 Pharmacists की नियुक्ति की जानी है, जो संबंधित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशानुसार/ToR के अनुसार कार्य करते हुए मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करेंगे तथा उक्त केन्द्र पर कार्यरत पूर्णकालिक चिकित्सा पदाधिकारी का सहयोग करते हुए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की संपूर्ण गतिविधियों/योजनाओं का क्रियान्वयन में अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे ।

कुल राशि रू0 में : 58.32 लाख {Rs. 12000 x 81 Pharmacists x 6 Month}}

वित्तीय दिशा-निर्देश :

SL. No.	Name of Post	Salary per Month	No. of Post.	Total 6 Month Salary
1	Pharmacists	12,000	81	58,32,000
Total-				58,32,000

Pharmacists के वेतन मद में EPF की राशि FMR सं0 P.1.2 में आवंटित की जा रही है ।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो0 मसरुद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं0 : 9473197722/9386041609


SFM-NUHM


SPM-NUHM

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Strengthening of Health Services Human Resource

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): UPHCs - Data Entry Operator-cum-LDC

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.4.1.10

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पूर्व से संचालित राज्य के 14 जिलों यथा-बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 01 DEO-cum-LDC की नियुक्ति की गयी है, जो संबंधित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशानुसार/ToR के अनुसार कार्य करते हुए संबंधित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाटा तथा विभिन्न प्रतिवेदन का संधारण करेंगे तथा उक्त केन्द्र पर कार्यरत पूर्णकालिक चिकित्सा पदाधिकारी को अपेक्षित सहयोग प्रदान करते हुए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की संपूर्ण गतिविधियों/ योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करेंगे ।

कुल राशि रू0 में : 77.76 लाख {Salary Rs. 8000 x 81 DEO-cum-LDC x 12 Month}}


वित्तीय दिशा-निर्देश :

SL. No.	Name of Post	Salary per Month	No. of Post.	Total 12 Month Salary
1	DEO-cum-LDC	8000	81	77767000
Total				77,76,000

- उक्त पदों का मानदेय उपरोक्त सारणी के स्तंभ-3 में अंकित है, तदनुसार मानदेय का भुगतान किया जाए। उपर्युक्त पदों के मानदेय में वार्षिक वृद्धि के संदर्भ में अलग से निदेश निर्गत किया जाएगा जिसके उपरांत ही वार्षिक वृद्धि मान्य होगी।
- DEO-cum-LDC के वेतन मद में EPF की राशि FMR सं0 P.1.2 में आवंटित की जा रही है ।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो0 मसऊद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं0 : 9473197722/9386041609


SFM-NUHM


SPM-NUHM

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन
क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Strengthening of Health Services Human Resource

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): UPHCs - 4th Grade Staff Salary

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.4.1.11

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पूर्व से संचालित राज्य के 14 जिलों यथा-बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक 4th Grade Staff की नियुक्ति की गयी है, जो संबंधित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत पूर्णकालिक चिकित्सा पदाधिकारी के निर्देशानुसार शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के संचालन में अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे ।

कुल राशि रू0 में : 58.32 लाख { Salary Rs. 6000 x 81 4th Grade Staff x 12 Month}}

वित्तीय दिशा-निर्देश :

SL. No.	Name of Post	Salary per Month	No. of Post.	Total 12 Month Salary
1	4 th Grade Salary	6000	81	5832000
Total-				58,32,000

- उक्त पदों का मानदेय उपरोक्त सारणी के स्तंभ-3 में अंकित है, तदनुसार मानदेय का भुगतान किया जाए। उपर्युक्त पदों के मानदेय में वार्षिक वृद्धि के संदर्भ में अलग से निर्देश निर्गत किया जाएगा जिसके उपरांत ही वार्षिक वृद्धि मान्य होगी।
- 4th Grade Staff Salary के वेतन मद में EPF की राशि FMR सं0 P.1.2 में आवंटित की जा रही है ।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो0 मसरुद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं0 : 9473197722/9386041609

SFM-NUHM

SPM-NUHM

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Infrastructure strengthening of Health Services

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Renovation/Upgradation of UFWCs

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या(अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.4.2.2.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पूर्व से संचालित राज्य के 14 जिलों यथा-बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण में चिन्हित 15 UFWCs को जिर्णोद्धार/उत्क्रमित करते हुए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य के रूप में संचालित किया जाना है । प्रत्येक UFWC के जिर्णोद्धार हेतु 14,00,000 रु० का प्रावधान किया गया है ।

कुल राशि: रु० में : 150.00 लाख (Rs.10,00,000 x 15UFWCs)

वित्तीय दिशा-निर्देश :

राज्य में कुल चिन्हित 15 UFWCs के जिर्णोद्धार हेतु 14,00,000 रु० प्रति UFWC का प्रावधान किया गया है । BMSICL से जीर्णोद्धार हेतु तकनीकी प्राकल्पन प्राप्त होने के उपरान्त UFWCs का जीर्णोद्धार का कार्य किया जाना है ।

इस संदर्भ में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पूर्व पत्रांक 1952, दिनांक 14.07.2017 संलग्न किया जा रहा है ।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो० मसऊद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं० : 9473197722/9386041609


SFM-NUHM


SPM-NUHM 

50/158



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



An ISO 9001:2008 Certified Agency

संजय कुमार सिंह, भा0प्र0रो0
अपर कार्यपालक निदेशक

संसार 01

संचिका संख्या: SHSB/SPM/236/2015
पत्रांक दिनांक-..... / .. / 2017

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,

बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड,
पटना, बिहार ।

विषय:—राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) अंतर्गत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के जीर्णोद्धार हेतु तकनीकी स्वीकृति के साथ प्राक्कलन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग—कार्यालय पत्रांक 5925, दिनांक 14.12.16

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एव प्रासंगिक पत्र का संदर्भ किया जाय, जिसमें राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को त्वरित गति से स्थापित करने के उद्देश्यों से राज्य में चिन्हित कुल 21 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (UFWC) भवन के जीर्णोद्धार हेतु राशि का तकनीकी प्राक्कलन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, परन्तु उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों का प्राक्कलन अब तक अप्राप्त है।

अवगत कराना है कि पूर्ण में चिन्हित 21 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र जिनका जीर्णोद्धार करते हुए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में संचालन किया जाना था, जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार 4 जिलों में 6 स्वास्थ्य केन्द्र (पटना में 3—(1)लेडि सिफ्टन, (2) लेडि स्टीफेन्सन एवं (3) लेडी व्हीलर सेन्टर, बेगूसराय में 1, पूर्णिया में 1 तथा सहरसा में 1) को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए UFWC का कोई सरकारी भवन उपलब्ध नहीं रहने के कारण इन केन्द्रों को किराये के भवन में संचालित करने हेतु निर्णय लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि राज्य में चिन्हित कुल 15 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (UFWC) (संशोधित संलग्न सूची के अनुसार) भवन के जीर्णोद्धार हेतु राशि का तकनीकी प्राक्कलन यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाय, ताकि उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन का जीर्णोद्धार करते हुए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन किया जाय।

इसे अति आवश्यक समझा जाए ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(संजय कुमार सिंह)

ज्ञापार्क—1952-

पटना, दिनांक—14/12/17


प्रतिलिपि संबंधित जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, विहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाएँ, विहार को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: संबंधित सिविल सर्जन—सह—सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, विहार को सूचनार्थ एवं BMSICL को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: संबंधित जिला नोडल पदाधिकारी—NUHM को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: संबंधित जिला/प्रभारी स्वास्थ्य सलाहकार—NUHM एवं CPMU, DHS पटना, विहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


अपर कार्यपालक निदेशक

GA



AL

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा,
पटना- 800 014.

स्वास्थ्य बिहार
समृद्ध बिहार

दूरभाष: 0612-2290340, 2281545, फैक्स: 2290322,
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

(34)
280

राज्य में चिन्हित शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (UFWCs) की संशोधित सूची जिनका जीर्णोद्धार किया जाना है :-

क्र०सं०	जिला का नाम	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (UFWCs) की संख्या	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (UFWCs) का नाम एवं पूरा पता
1	भागलपुर	2	नाथनगर बुधिया अस्पताल, नाथनगर मोहद्धीनगर
2	भोजपुर	1	भोजपुर
3	दरभंगा	2	दरभंगा बिरौल
4	गया	1	एम०सी०एच० सेन्टर, रामसागर
5	मुंगेर	1	लेडी स्टीफेन्स तथा चाईल्ड वेलफेयर सेन्टर
6	पटना	6	जयप्रभा अस्पताल, कंकड़बाग, स्टेट डिस्पेंसरी, कंकड़बाग, मारुफगंज डिस्पेंसरी, गुलजारबाग डिस्पेंसरी, गर्दनीबाग-6-सी, कस्वा अस्पताल, पटना साहिब
7	रोहतास	2	डेहरी सासाराम एम०सी०एच० सेंटर
कुल संख्या		15	

५५

१८

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Infrastructure strengthening of Health Services-Rent for UPHC

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Rent for UPHC

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या(अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.4.2.3.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य के पूर्व से संचालित 14 जिलों यथा-बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण में चिन्हित 60 UPHC को किराये के भवन में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार संचालित किये जा रहे हैं तथा 06 UPHCs सरकारी भवन न मिलने के कारण किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2017-18 में NUHM अंतर्गत आच्छादित 08 नये जिले यथा-औरंगाबाद, बक्सर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, जहानाबाद, नवादा, सीवान, वैशाली में कुल 18 नये UPHCs किराये के भवन में संचालित किया जाना है । जिसके लिए प्रतिमाह कुल देय भवन किराया राशि रु0 20000/-का प्रावधान किया गया है ।

कुल राशि रु0 में : 180 लाख

वित्तीय दिशा-निर्देश :

क्र०स०	जिला का नाम	राशि	कुल राशि
1.	बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण	20,000/- प्रतिमाह X 12 माह X 66 UPHCs	1,58,40,000/-
2.	औरंगाबाद, बक्सर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, जहानाबाद, नवादा, सीवान, वैशाली एवं रोहतास के 02 नये UPHCs के लिए	20,000/- प्रतिमाह X 06 माह X 18 UPHCs	21,60,000/-
3.	भोजपुर, दरभंगा, पटना, रोहतास एवं पूर्णिया जिला के लिए Committed में राशि उपलब्ध करायी जा रही है ।		15,00,000/-
कुल			1,95,00,000/-

विस्तृत विवरणी अनुलग्नक-“क” पर संलग्न ।

इस संदर्भ में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा पूर्व निर्गत निम्न पत्रांक संलग्न है ।

(क) राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक-177, दिनांक-08.01.2016

(ख) राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक-2290, दिनांक-30.03.16

(ग) UPHC के किराया के भवन का किराया निर्धारण संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जाना है । राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक-6950, दिनांक-02.02.17

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो0 मसऊद आलम/कुमार नयन

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं0 : 9473197722/9386041609


SFM-NUHM


SPM-NUHM

Page No.:

Annexur 'A' (List of Rented UPHCs)				
FMR Code P.4.2.3.1(Rent for UPHC)				
Sl. No.	District & City	No.of sanctioned UPHC on Rent		Rs 20,000 p/m per UPHCs
1	Aurangabad	1	Approved in 2017-18	120000
2	Begusari	4		960000
3	Bhagalpur	6		1440000
4	Bhojpur	3		720000
5	Buxar	1	Approved in 2017-18	120000
6	Darbhanga	4		960000
7	East Champaran	2	Approved in 2017-18	240000
8	Gaya	7		1680000
9	Jahanabad	2	Approved in 2017-18	240000
10	Katihar	1		240000
11	Munger	4		960000
12	Muzaffarpur	4		960000
13	Nalanda	4		960000
14	Nawada	2	Approved in 2017-18	240000
15	Patna	18		4320000
16	Purnia	6		1440000
17	Rohtas	3	02 UPHCs on rent approved in 2017-18 (Dehri dalmianagar)	480000
18	Saharsa	2		480000
19	Saran	2		480000
20	Siwan	2	Approved in 2017-18	240000
21	Vaishali	2	Approved in 2017-18	240000
22	West Champaran	4	Approved in 2017-18(Betiah-03 & Bagha-01)	480000
Total		84		1,80,00,000


SFM-NUHM


SPM-NUHM 



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency



आर० के० महाजन, गा०५०से०
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग

संकेत सं० SHSB/NUHM/236/2015-17
दिनांक ०१/०१/२०१६

सेवा में,

- (1) जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति,
बेगूसराय, भागलपुर, भाजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना,
पूर्णांचली, रोहतास, सहरसा, एवं सारण।
- (2) सिविल सर्जन—सह—सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति,
बेगूसराय, भागलपुर, भाजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना,
पूर्णांचली, रोहतास, सहरसा, एवं सारण।

विषय: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत Urban Primary Health Centre (UPHC) के प्रभावी संचालन हेतु दिशा-निर्देश के संबंध में।
महाशय,

विदित हो कि राज्य में वर्ष 2013-14 से कुल 14 जिलों में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रति 50 हजार शहरी आबादी पर 1 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (Urban Primary Health Centre - UPHC) की स्थापना का प्रावधान था। इसके सापेक्ष 29 UPHC PPP Mode में संचालित किये जा रहे हैं। वर्तमान में PPP mode में संचालित UPHC के कार्यों का मूल्यांकन के मद्देनजर एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए निम्नोपरांत एवं सैद्धान्तिक रूप से यह निर्णय लिया गया कि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन एवं प्रबंधन पूर्णरूपेण सरकारी व्यवस्था अन्तर्गत किया जाय ताकि भारत सरकार के निर्देशानुसार लक्षित शहरी आबादी को गुणवत्ता पूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएँ प्रदान की जा सकें।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को PPP mode पर संचालित करने हेतु अभिलेखि की अभिव्यक्ति (L1O) आमंत्रित की गई थी। तत्परन्तव राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा आवश्यक प्रतिक्रिया अपनाते हुए एजेंसियों का चयन किया गया था। तदनुसार 14 जिला स्वास्थ्य समितियों को उक्त चयनित संस्थाओं के साथ एकरारनामा करत हुए UPHC का कार्य प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया। एकरारनामा के अनुसार प्रारंभ में अनुबंध की अवधि एक वर्ष निर्धारित है। उल्लेखनीय है कि उक्त एकरारनामा की कडिका 2.9.1 (f) के निहित प्रावधानों के आलोक में द्वितीय पक्ष को नोटिस देते हुए सेवा समाप्त करने का प्रावधान है।

अतः राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत UPHC के प्रभावी संचालन हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं:

1. उपरोक्त निर्णय के संदर्भ में वर्तमान में PPP मोड पर संचालित 29 UPHCs में ऐसे UPHCs जिसकी एक वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है उसकी सविदा का (उपरोक्त सैद्धान्तिक निर्णय के आलोक में) नवीनीकरण नहीं कराया जाय। तदनुसार उन UPHCs को पूर्णतः सरकारी व्यवस्था के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा संचालित कराये।
2. जिस एजेंसी का सविदा/एकरारनामा प्रभावी है, उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन के आलोक में एवं उपरोक्त सैद्धान्तिक निर्णय को ध्यान में रखते हुए अनियमितता/गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार संचालन करत हुए मुखर आदेश प्रारित किया जाय। आपके जिले में संचालित हो रहे/किये जानेवाले UPHCs की संख्या एवं विवरणी Annexure-A पर सलग्न है।



परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा,
पटना- 800 014.

स्वास्थ्य विभाग,
समृद्ध बिहार

दूरभाष: 0612-2290340, 2281545, फैक्स: 2290322.
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org



i) **UPHC हेतु भवन की उपलब्धता** – संबंधित जिलों के 81 UPHC के संचालन हेतु पूर्व से चयनित स्थानों अथवा जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार शहरी स्लम आबादी के 01 कि०मी० परिधि के क्षेत्रों में अवस्थित एवं 1500-2000 वर्ग फीट वाले सरकारी/किराए के भवन में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा संचालित किया जाना है। UPHC's हेतु सरकारी भवन को प्राथमिकता दिया जाना है, जिसमें नगर निगम का सहयोग लिया जाए। अगर किसी परिस्थिति में सरकारी भवन उपलब्ध नहीं हो पाता है तो निजी भवन किराये पर लिया जा सकता है। किराये की अधिकतम सीमा 20,000/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित है। उक्त भवन में 4-5 कमरे हों जिसमें मुख्यतः OPD, पंजीकरण, औषधि वितरण, भण्डारण, पैथोलॉजी जांच एवं शौचालय आदि की उपलब्धता होनी चाहिए। किराये के मामले में भुगतान करने से पूर्व किराया का निर्धारण Rent Controller से करा लेना श्रेष्ठ होगा।

ii) UPHC हेतु चयनित भवनों (सरकारी/निजी) के जिणोंद्वारा हेतु तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन तैयार कराकर प्रस्ताव भेजा जाये।

iii) **मानव संसाधन की उपलब्धता** – प्रत्येक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए निम्न मानव संसाधन की स्वीकृति प्राप्त है, जिनकी नियुक्ति राज्य स्तर से ध्याशीघ्र की जा रही है –

क्र.सं०	पदनाम	संख्या प्रति UPHC's
1	चिकित्सक (पूर्णकालिक)	01
2	चिकित्सक (अंशकालिक)	01
3.	स्टाफ नर्स	03
4.	ANM	05
5.	फार्मासिस्ट	01
6.	लैब टेकनिशियन	01
7.	LDC & Grade-D staff	01+01

iv) **जिला द्वारा मानव संसाधन की प्रतिनियुक्ति** – वर्तमान में जिलेवार UPHC प्रारंभ करने हेतु मानव संसाधन की वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत (जब तक नियुक्ति न हो जाए) सिविल सर्जन द्वारा एक MBBS चिकित्सक, एक आयुष चिकित्सक तथा आवश्यकतानुसार दो ANM/Staff Nurse एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति रोस्टर के अनुसार सुनिश्चित की जाय। साथ ही सदर प्रकरण के लेखापाल को UPHC's के वित्त संबंधित कार्यों हेतु अतिरिक्त प्रभार दिया जाय। UPHC's के पूर्णकालिक चिकित्सक संबंधी UPHC's के प्रभारी पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे एवं विधीय संचालन के लिए जबाबदेह होंगे।

v) **OPD संचालन का समय** – OPD का संचालन पूर्वाह्न 08 बजे से 12 बजे तथा अपराह्न 04 बजे से 08 बजे तक चलाया जाना है।

vi) **दवा की उपलब्धता** – NUHM के दिशा-निर्देश एवं विधीय नियमावलीनुसार प्रत्येक UPHC हेतु (जब तक की BMSICL द्वारा आपूर्ति प्रारंभ नहीं होती है) दवा की उपलब्धता संबंधित सिविल सर्जन द्वारा सुनिश्चित किया जाय। NUHM से संबंधित दवाओं की सूची Annexure-B पर संलग्न है।

vii) **UHSND का क्रियान्वयन** – शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत Urban Health and Sanitation Day (UHSND) एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य विज्ञान के अन्तर्गत संचालित UHSND के तर्ज पर ही लक्ष्य के अनुसार UHSND का क्रियान्वयन भी सुनिश्चित है।



परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा,
पटना- 800 014.



दूरभाष: 0612-2290340, 2281545. फैक्स: 2290322.
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org



viii) शहरी आशा का धयन – सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने में आशा की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिलों में शहरी आशा का धयन लक्ष्य के अनुसार शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए।

ix) महिला आरोग्य समिति (MAS) – महिला आरोग्य समिति NUHM के अन्तर्गत सामुदायिक सहभागिता के तहत एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। अतः इसका गठन करना अति आवश्यक है। शहरी आवास एवं विकास विभाग के तहत पूर्व से गठित सामुदायिक विकास समिति (SVS) को ही महिला आरोग्य समिति के रूप में adopt किया जाय। जिला स्वास्थ्य समिति अपने जिला अन्तर्गत शहरी आवास एवं विकास विभाग से सम्बन्ध कर अपने-अपने जिलों के MAS के लक्ष्य अनुसार शत-प्रतिशत गठन करें। अगर किसी स्लम क्षेत्र के अन्तर्गत एक से अधिक SVS की संख्या हो तो, उसमें सक्रिय SVS को MAS के रूप में प्राथमिकता दी जाए। जिलों में जिलावार, शहरी आवास एवं विकास विभाग द्वारा प्राप्त सामुदायिक विकास समिति की सूची उपलब्ध कराई जा रही है (Annexure-C)।

X) जिला स्तर पर सिविल सर्जन इस कार्यक्रम के लिए जबाबदेह पदाधिकारी माने जाएंगे। जिला कार्यक्रम प्रबंधक तथा शहरी स्वास्थ्य सलाहकार उनको सहयोग देंगे तथा NUHM के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सभी कार्यों का ससमय निष्पादन कराते हुए UPHCs का संचालन सरकारी व्यवस्था के अन्तर्गत माह जनवरी 2016 के अंत तक शत-प्रतिशत कराना सुनिश्चित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

अनुलग्नक:- शोधोक्त

विश्वासभाजन

(आर० के० महाजन) 1/16

NY



परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा,
पटना- 800 014.

स्वास्थ्य बिहार
समृद्ध बिहार

दूरभाष: 0612-2290340, 2281645, फैक्स: 2290322.
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency



viii) शहरी आशा का घयन - सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्ध कराने में आशा की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिलों में शहरी आशा का घयन लक्ष्य के अनुसार शत प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए।

ix) महिला आरोग्य समिति (MAS) - महिला आरोग्य समिति NUHM के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्यमिता के तहत एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। अतः इसका गठन करना अति आवश्यक है। शहरी आवास एवं विकास विभाग के तहत पूर्व से गठित सामुदायिक विकास समिति (SVS) को ही महिला आरोग्य समिति के रूप में adopt किया जाए। जिला स्वास्थ्य समिति अपने जिला अन्तर्गत शहरी आवास एवं विकास विभाग से समन्वय कर अपने-अपने जिलों के MAS के लक्ष्य अनुसार शत-प्रतिशत गठन करें। अगर किसी रतम क्षेत्र में अन्तर्गत एक से अधिक SVS की संख्या हो तो, उसमें सक्रिय SVS को MAS के रूप में प्राथमिकता दी जाए। जिलों में जिलावार, शहरी आवास एवं विकास विभाग द्वारा प्राप्त सामुदायिक विकास समिति की सूची उपलब्ध कराई जा रही है (Annexure-C)।

X) जिला स्तर पर सिविल रतर्न इस कार्यक्रम के लिए जबाबदेह पदाधिकारी माने जाएंगे। जिला कार्यक्रम प्रबन्धक तथा शहरी स्वास्थ्य सलाहकार उनका सहयोग देंगे तथा NUHM के प्रभावी क्रियारूपन के लिए उत्तरदायी होंगे।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सभी कर्तव्यों का समग्र निष्पादन कर्तव्य रूप में UPHIC का संवाहन सरकारी व्यवस्था के अन्तर्गत माह जनवरी 2016 के अंत तक शत-प्रतिशत कराना सुनिश्चित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

अनुलग्नक:- यथोक्त

गिशनसभाजन

(आर० के० महाजन)

आपाक... 127

प्रतिलिपि

पटना, दिनांक... 28/01/2016

- कार्यपालक निर्देशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनाार्थ प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- संबंधित निगम/नगर आयुक्त को सूचनाार्थ एवं कठिका (i) में आवश्यक सहयोग हेतु प्रेषित।
- वरीय उपसमाहर्ता-सह-प्रभारी मानव ससाधन, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनाार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- अपर निर्देशक, प्रतिरक्षण/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, VHSND तथा Diagnostic राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनाार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- शहरी स्वास्थ्य कोषाग, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनाार्थ एवं आवश्यक समन्वय हेतु प्रेषित।
- टीम लीडर, आशा, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनाार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनाार्थ प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबन्धक, RPMH को सूचनाार्थ एवं निर्देश है कि उपरोक्त आदेश के शत प्रतिशत अनुपालन जिलों से समन्वय स्थापित कर करना सुनिश्चित करें।
- सभी संबंधित जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनाार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- सभी शहरी स्वास्थ्य सलाहकार, NUHM/CPMU बिहार को सूचनाार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

गिशनसभाजन

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग-सह-

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा,
पटना- 800 014.

दूरभाष: 0612-2290340, 2281545, फैक्स: 2290322.
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



An ISO 9001:2008 Certified Agency

जितेन्द्र श्रीवास्तव, माओप्रोसेड
कार्यपालक निदेशक
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
—सह—
सचिव, स्वास्थ्य विभाग

पत्र संख्या—SHSB/SPM/NUHM/26 4/2016-----
पटना, दिनांक—.....

सेवा में,

सिविल सर्जन—सह—सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति,
बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर,
मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं स्मरण।

विषय:—शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु किरायेनामा/एकरारनामा प्रारूप के संबंध में।

प्रसंग:— SHSB पत्रांक 177 दिनांक 08/01/2016

महाशय,

विदित हो कि राज्य में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य के 14 जिलों में कुल 81 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को संचालन पूर्णरूपेण सरकारी प्रक्रिया द्वारा संचालित करने हेतु निदेशित किया गया है। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सरकारी या किराये के भवन में संचालित किया जाना है, जिन स्थानों पर सरकारी भवन अनुपलब्ध है, वहां पर किराये के भवन में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन किया जाना है।

शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए किराये के भवन हेतु मकान मालिक के साथ की जाने वाली किरायेनामा/एकरारनामा का प्रारूप उपलब्ध कराई जा रही है। किरायेनामा/एकरारनामा हस्ताक्षरित करने की जवाबदेही सिविल सर्जन की होगी।

अतः निदेशित है कि सलग्न किरायेनामा/एकरारनामा के अनुसार अनुबंध हस्ताक्षर करते हुए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सफल एवं सुगम संचालन कराना सुनिश्चित किया जाय।

“हम शहरी स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने हेतु कृत संकल्प हैं”।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन

HO / -

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)

ज्ञापांक.....22410.....

पटना, दिनांक.....20/3/16.....

प्रतिलिपि:

- संबंधित जिला पदाधिकारी सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय अपर/उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- संबंधित जिलों के जिला कार्यक्रम प्रबंधक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- संबंधित जिलों के जिला स्वास्थ्य सलाहकार—NUHM को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

30/3

कार्यपालक निदेशक—सह—
सचिव



परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा,
पटना- 800 014.

स्वास्थ्य बिहार
समृद्ध बिहार

दूरभाष: 0612-2290340, 2281545, फैक्स: 2290322,
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



An ISO 9001:2008 Certified Agency

श.शे. भूषण कुमार, भा0प्र0से0
सचिव, स्वास्थ्य-सह-
कार्यपालक निदेशक

संकेत: संख्या: SHSB/SPM/NUHM/264/2016
पत्रांक: दिनांक: /01/2017

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति-बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर,
नालन्दा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण।

विषय:-शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के मासिक किराया निर्धारण के संबंध में।

प्रसंग:-कार्यालय पत्रांक-177, दिनांक-08.01.2016

महाशय/महाशया,

विदित हो कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत राज्य के 14 जिलों में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य में कुल 60 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किराये के भवन में संचालित हैं, जिसकी सूची पत्र के साथ संलग्न है।

2. मासिक किराया का निर्धारण नहीं होने से मकान मालिक द्वारा मकान खाली करने हेतु दबाव दिया जा रहा है तथा किराया हेतु उपलब्ध कराई गई राशि का भी व्यय नहीं हो रहा है।

अतः अनुरोध है कि संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया जाय कि वे अधिलम्ब मासिक किराया का निर्धारण करें, ताकि जिला में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन निर्बाध रूप से किया जा सके।

इसे अति आवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन
ह0/-

ज्ञापांक 6950, पटना दिनांक 02-02-17 (शशि भूषण कुमार)

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, स्वास्थ्य-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: संबंधित जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी-सह-नांडल पदाधिकारी (NUHM) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक/संबंधित जिला कार्यक्रम प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: संबंधित जिला/प्रभारी/शहरी स्वास्थ्य सलाहकार-NUHM एवं CPMU-DHS, Patna को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

सचिव, स्वास्थ्य-सह-
कार्यपालक निदेशक



परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा,
पटना- 800 014.

स्वास्थ्य बिहार
समृद्ध बिहार

दूरभाष: 0612-2290340, 2281545, फैक्स: 2290322.
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Strengthening of Health Services

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): UPHC-Operational expenses

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.4.2.3.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पूर्व से संचालित राज्य के 14 जिलों यथा-बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण में चिन्हित 60 UPHC को किराये के मकान में संचालित किये जा रहे हैं। पूर्व से चिन्हित उक्त जिलों के 06 UPHC (यथा- बेगुसराय-01, पटना-03, पूर्णिया-01 तथा सहरसा-01) जिन्हें सरकारी भवन में संचालित किया जाना था, सरकारी भवन उपलब्ध नहीं रहने के कारण इन 06 UPHC को भी किराये के भवन में संचालित किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में NUHM अंतर्गत अछादित 08 नये जिलों में कुल 18 UPHC को किराये के भवन में संचालित किया जाना है। पूर्व से चिन्हित 15 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र जिन्हें उत्क्रमित करते हुए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में संचालन किया जा रहा है। अर्थात् 99 UPHCs के लिए प्रतिमाह Operational Expenses के मद में रू0 10,000/-का प्रावधान किया गया है जिनका उपयोग संबंधित UPHC के दैनिक खर्च यथा-Printing, Stationary, Computer Cartridge, Cleaning, Telephone Bill, Internet, Data Card, CFL, Minor Electric Wiring, Local Conveyance etc.. तथा अन्य छोटी-छोटी आवश्यक वस्तुओं जिनका UPHC के संचालन में अनिवार्यता हो का क्रय किया जा सकता है।

पूर्व से संचालित 06 UPHC जिन्हें सरकारी भवन उपलब्ध नहीं रहने के कारण किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत 18 नये UPHC के लिए One Time Operational expenses के लिए 02 लाख रू0 प्रति UPHC का आवंटन किया जा रहा है। जिसका उपयोग UPHC पर फर्नीचर, कम्प्यूटर, प्रिंटर क्रय करने आदि पर किया जा सकता है।

कुल राशि रू0 में : 156 Lakh

वित्तीय दिशा-निर्देश :

क्र० सं०	विवरण	राशि
1	पूर्व से संचालित 81 UPHC के लिए प्रति माह Operational expenses	97,20,000 /-(रू0 10,000x81UPHCs x 12 Month)
2	वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत नये 18 UPHC के लिए Operational expenses	10,80,000 /-(रू0 10,000x18UPHCs x 06 Month)
3	पूर्व से संचालित 06 UPHC जो सरकारी भवन के स्थान पर किराये के भवन में संचालित किया जाना है के लिए One Time Operational expenses (बेगुसराय-01, पटना-03, पूर्णिया-01 तथा सहरसा-01)	12,00,000 /-(रू0 2,00,000x06UPHCs x 12 Month)
4	वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत नये 18 UPHC के लिए One Time Operational expenses	36,00,000 /-(रू0 2,00,000x18UPHCs)
	कुल	1,56,00,000 /-

विस्तृत सूची अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है:-

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो0 मसरुद आलम/कुमार नयन

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं० : 9473197722/9386041609

Annexur 'A'						
FMR Code P.4.2.3.2 (UPHCs Operational Expenses)						
Sl. No.	District & City	No. of sanctioned UPHC		Rs 10,000 p/m per UPHCs	Rs 2,00,000 one time per UPHCs	Total
1	Aurangabad	1	Approved in 2017-18	60000	200000	260000
2	Begusari	4		480000	200000	680000
3	Bhagalpur	8		960000	0	960000
4	Bhojpur	4		480000	0	480000
5	Buxar	1	Approved in 2017-18	60000	200000	260000
6	Darbhanga	6		720000	0	720000
7	East Champaran	2	Approved in 2017-18	120000	400000	520000
8	Gaya	8		960000	0	960000
9	Jahanabad	2	Approved in 2017-18	120000	400000	520000
10	Katihar	1		120000	0	120000
11	Munger	5		600000	0	600000
12	Muzaffarpur	4		480000	0	480000
13	Nalanda	4		480000	0	480000
14	Nawada	2	Approved in 2017-18	120000	400000	520000
15	Patna	24		2880000	600000	3480000
16	Purnia	6		720000	200000	920000
17	Rohtas	5	02 UPHCs on rent approved 2017-18 (Dehri Dalmianagar)	480000	400000	880000
18	Saharsa	2		240000	200000	440000
19	Saran	2		240000	0	240000
20	Siwan	2	Approved in 2017-18	120000	400000	520000
21	Vaishali	2	Approved in 2017-18	120000	400000	520000
22	West Champaran	4	Approved in 2017-18 (Betiah-03 & Bagha-01)	240000	800000	1040000
Total		99		1,08,00,000	48,00,000	1,56,00,000


SFM-NUHM


SPM-NUHM 



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



An ISO 9001:2008 Certified Agency

प्रदीप कुमार झा, भा0प्र0सो0
अपर कार्यपालक निदेशक

सचिका संख्या: SHSB/SPM/236/2015
पत्रांक 3379 दिनांक-12/08/2016

सेवा में,

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,

जिला स्वास्थ्य समिति-बंगसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर,
नालंदा, पूर्णिया, पटना, रोहतास, गहरसा एवं सारण।

विषय:-शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित करने के संबंध में।

महाशय,

विदित है कि राज्य के 14 जिलों में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन एवं क्रियान्वयन करते हुए मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं।

राज्य में संचालित सभी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया जाना है, जिसके अंतर्गत स्थानीय जन समुदाय विशेषकर मलिन बस्तियों में मुजर-बसर कर जीवन-साधन करने वाले आम जन मानस को तथा स्थानीय वार्ड-पार्षद/जन-प्रतिनिधि को आमंत्रित करते हुए राष्ट्रीय ध्वज गनाया जा सकता है। इस समारोह पर आवश्यकतानुसार अधिकतम 1500/- (पन्द्रह सौ रुपये मात्र) रु० का व्यय किया जा सकता है, जिसका बहन FMR Code No. P.4.2.3.2 से किया जाना है।

निवेशित है कि राज्य में संचालित सभी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित कराना सुनिश्चित करें।

“हम शहरी स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने हेतु कृत संकल्प हैं।”

विश्वासभाजन

(प्रदीप कुमार झा)

1



राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Strengthening of Health Services

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): UPHC- Untied Grants (Government Building)

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.4.3.1.a

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पूर्व से संचालित राज्य के 07 जिलों यथा- भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, मुर्गेर, पटना एवं रोहतास में चिन्हित कुल 15 UPHC का संचालन सरकारी भवन में किया जा रहा है। प्रत्येक सरकारी भवन में संचालित UPHC के लिए 1 लाख 50 हजार रु० प्रतिवर्ष Untied Grants का प्रावधान किया गया है, जिसका उपयोग शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नियुक्त Security Guard के मानदेय मद में प्रतिमाह 5,000/-रु० का भुगतान किया जाना है तथा UPHC के रख-रखाव, स्वास्थ्य केन्द्र पर मरीजों सुविधाएँ प्रदान करने यथा-पेयजल की व्यवस्था, UPHC के लिए रेफ्रिजरेटर का क्रय आवश्यकतानुसार फर्नीचर की व्यवस्था, रंग-रोगन आदि में तथा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के दिशा-निर्देशानुसार किया जाना है।

कुल राशि रु० में :22.50 लाख

वित्तीय दिशा-निर्देश :


क्र०सं०	विवरण	राशि	कुल राशि
1	सुरक्षा प्रहरी का मानदेय हेतु	रु० 5,000/- प्रतिमाह	रु०-9,00,000/- (मानदेय रु०-5,000 X 15 UPHC X 12 माह)
2	उपरोक्त वर्णित अन्य खर्च हेतु	रु० 90,000/- X 15 UPHC	रु०-13,50,000 (90,000x15 UPHC)
कुल राशि			रु०-22,50,000/-

सरकारी भवन में संचालित UPHC की सूची:-

क्र०सं०	जिला का नाम	UPHC की सं०
1	भागलपुर	02
2	भोजपुर	01
3	दरभंगा	02
4	गया	01
5	मुर्गेर	01
6	पटना	06
7	रोहतास	2
कुल		15

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो० मसऊद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं० : 9473197722/9386041609


SFM-NUHM


SPM-NUHM

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Strengthening of Health Services

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): UPHC- Untied Grants (Rented Building)

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.4.3.1.b

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पूर्व से संचालित राज्य के 60 UPHC एवं 06 UPHC जो सरकारी भवन में संचालित किये जाने थे भवन उपलब्ध नहीं होने के कारण किराये के भवन में संचालित किये जा रही है तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के नये 08 जिलों में अच्छादित कुल 18 नये किराये के भवन में UPHC जिसका संचालन किया जाना है। अर्थात् कुल किराये के भवन में संचालित 84 UPHC के लिये प्रत्येक UPHC 1 लाख रू० प्रतिवर्ष Untied Grants का प्रावधान किया गया है, जिसका उपयोग शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नियुक्त Security Guard के मानदेय मद में प्रतिमाह 5,000/-रू० का भुगतान किया जाना है तथा UPHC के रख-रखाव, स्वास्थ्य केन्द्र पर मरीजों सुविधाएँ प्रदान करने यथा-पेयजल की व्यवस्था, UPHC के लिए रेफ्रिजरेटर का क्रय आवश्यकतानुसार फर्नीचर की व्यवस्था, रंग-रोगन आदि किया जाना है।

कुल राशि रू० में :84.00 लाख

वित्तीय दिशा-निर्देश :

क्र० सं०	विवरण	राशि	कुल राशि
1	सुरक्षा प्रहरी का मानदेय पूर्व से संचालित 66 UPHC के लिए	रू० 5,000/- प्रति माह (5,000 x 12 माह = 60,000 प्रति UPHC)	रू०-39,60,000/- (मानदेय रू०-5,000 X 66 UPHC X 12 माह)
2	उपरोक्त वर्णित अन्य खर्च हेतु पूर्व से संचालित 66 UPHC के लिए	रू० 40,000/- प्रति UPHC	रू०-26,40,000 (रू० 40,000/- X 66 UPHC)
3	वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत नये 18 UPHC के लिए	रू० 1,00,000/- प्रति UPHC	18,00,000/- (1,00,000 x18 UPHC)
कुल राशि			रू०-84,00,000/-

- वित्तीय वर्ष 2017-18 में चयनित कुल 18 UPHC पर Invertor का क्रय इस मद से किया जा सकता है। इस संदर्भ में संलग्न राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा पूर्व प्रेषित पत्रांक-1038, दिनांक-15.02.2016 का अनुसरण किया जा सकता है।
- इस संदर्भ में अन्य पत्रांक 1765, दिनांक 09.03.16, पत्रांक 1076, दिनांक 05.06.17 एवं पत्रांक 617, दिनांक 27.04.16 एवं पत्रांक 3061, दिनांक 01.08.16 संलग्न। इस संदर्भ में संलग्न राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा पूर्व प्रेषित पत्रांक-1038, दिनांक-15.02.2016 का अनुसरण किया जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो० मसरुद आलम/कुमार नयन

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं० : 9473197722/9386041609



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



An ISO 9001:2008 Certified Agency

पत्र संख्या—SHSB/SPM/NUHM//239/2015-----

पटना, दिनांक—-----

जितेन्द्र श्रीवास्तव, मा0प्र0से0

कार्यपालक निदेशक

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

—सह—

विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग।

सेवा में,

सिविल सर्जन—सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति,

बेतुआराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर,

मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, सहायस, सहरसा एवं सारण।

विषय: UPHCs हेतु डाटा ईंट्री ऑपरेटर, चतुर्थवर्गीय कर्मी, रात्रि सुरक्षा प्रहरी एवं Invertor की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि राज्य में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभावी संचालन हेतु निम्न मानव संसाधन एवं उपकरण कि उपलब्धता जिला स्तर पर करना सुनिश्चित करें:

क्र0सं0	मानव संसाधन/ उपकरण	अधिकतम शुभोद्य राशि प्रतिमाह	व्यय/ भर्ती/ क्रय की प्रक्रिया	भूगतान हेतु (NUHM) FMR सं0	अभियुक्ति
1	LDC — सह- डाटा ईंट्री ऑपरेटर	8,000/-	स्वीडो अर्जेंट संचालित NGO से।	4 3 3 1 3 (Salary of support Staff)	
2	चतुर्थवर्गीय कर्मचारी	8,000/-	Out sourcing के माध्यम से	4 3 3 1 3 (Salary of support Staff)	
3	रात्रि सुरक्षा प्रहरी	5,000/-	Out sourcing के माध्यम से	4 3 4 (Untied grants to UPHCs)	
4	UPHCs हेतु Invertor	25,000/-	बिहार विभाग सिविल वर्कर्स का अनुपालन करती है।	4 3 4 (Untied grants to UPHCs)	One time

अतः निदेशित है कि उपरोक्त क्रमिकों की उपलब्धता एवं उपकरण का क्रय जिला स्तर पर सुनिश्चित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)

ज्ञापक 1058

पटना, दिनांक 15/02/16

प्रतिलिपि:

- संबंधित जिला प्रदाधिकारी सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय अपर/उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ को सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- संबंधित सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- संबंधित सभी जिला स्वास्थ्य सलाहकार—NUHM को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



कार्यपालक निदेशक—सह-विशेष सचिव

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा,
पटना- 800 014.

स्वास्थ्य
समृद्ध बिहार

दूरभाष: 0612-2290340, 2281545, फैक्स: 2290322.
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

14



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



An ISO 9001:2008 Certified Agency

पत्र संख्या-SHSB/SPM/NUHM/RKS/262/2016

जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा0प्र0से0

कार्यपालक निदेशक

-सह-

सचिव, स्वास्थ्य विभाग

सेवा में,

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति,

बेगूसराय भागलपुर भोजपुर दरभंगा गया कटिहार मुंगेर,

मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण।

पटना, दिनांक-.....

विषय: शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगी कल्याण समिति के गठन करने हेतु दिशा-निर्देश का प्रेषण।

महाशय,

विदित हो कि राज्य में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रत्येक 50 हजार शहरी जनसंख्या पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सभी स्वास्थ्य संस्थानों में रोगी कल्याण समिति का गठन किया गया है, इसी तर्ज पर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रोगी कल्याण समिति का गठन किया जाना है। उसके संबंध में दिशा-निर्देश की प्रति सलगन की जा रही है।

2. रोगी कल्याण समिति के गठन एवं निव्वान के बाद प्रत्येक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए राशि आवंटित की जायेगी, जिसका उपयोग शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सुदृढीकरण एवं आवश्यकतानुसार किये गये विभिन्न कार्यों में की जायेगी।

3. अतः अनुरोध है कि सभी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रोगी कल्याण समिति का तदनुसार गठन एवं निव्वान करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वरामभाजन

80/-

ज्ञापांक 1745

प्रतिलिपि

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)
पटना, दिनांक 9/3/16

- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- संबंधित जिला प्रदाधिकारी सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय अपर/उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- संबंधित जिलों के जिला कार्यक्रम प्रबंधक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- संबंधित जिलों के जिला स्वास्थ्य सलाहकार-NUHM को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक निदेशक-सह-
सचिव



परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा,
पटना- 800 014.

स्वास्थ्य विभाग
समृद्ध बिहार

दूरभाष: 0612-2290340, 2281545, फैक्स: 2290322,
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



शशि भूषण कुमार, मा0प्र0से0
सचिव, स्वास्थ्य-सह-
कार्यपालक निदेशक

An ISO 9001:2008 Certified Agency

संचिका संख्या: SHSB/SPM/NUHM/RKS/262/2016
पत्रांक :, दिनांक-..... / 06 / 2017

सेवा में,

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति,
बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया,
रोहतास, सहरसा एवं सारण।

विषय:-शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रोगी कल्याण समिति (RKS) के गठन तथा बैंक खाता खुलवाने
के संबंध में।

महाशया / महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रत्येक शहरी प्राथमिक
स्वास्थ्य केन्द्र पर रोगी कल्याण समिति (RKS) का गठन किया जाना है। इसके उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता
खुलवाया जाना तथा उक्त मठ में अनुमोदित राशि का हस्तांतरण खाते में निश्चित रूप से किया जाना है।

जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रोगी कल्याण समिति (RKS) के
गठन एवं बैंक खाता खुलाने की अद्यतन सूची इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि अपने जिलान्तर्गत प्रत्येक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रोगी कल्याण समिति (RKS)
का शत-प्रतिशत गठन करत हुए राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाना दिनांक 30.06.2017 तक सुनिश्चित कर
लिया जाय।

अनुलग्नक:-RKS गठन तथा बैंक खाता खुलाने की सूची।

“हम शहरी स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने हेतु कृत संकल्प हैं।”

विश्वासभाजन

ह0/-

(शशि भूषण कुमार)

ज्ञापांक- 1096

पटना, दिनांक- 05/06/2017

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई, बिहार को सूचनार्थ एवं उक्त का अनुपालन
करवाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: संबंधित जिला नोडल पदाधिकारी- NUHM को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक एवं संबंधित जिला कार्यक्रम प्रबंधक को सूचनार्थ एवं उक्त का अनुपालन
करवाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: संबंधित जिला शहरी स्वास्थ्य सलाहकार/प्रभारी, जिला शहरी स्वास्थ्य सलाहकार एवं CPMU, Patna,
NUHM को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.6.2017

सचिव, स्वास्थ्य-सह-
कार्यपालक निदेशक

NY



परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा,
पटना- 800 014.

स्वास्थ्य बिहार
समृद्ध बिहार

दूरभाष: 0612-2290340, 2281545. फैक्स: 2290322.
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



An ISO 9001:2008 Certified Agency

पत्रांक : SHSB/SPM/236/2015-----
पटना, दिनांक-..... / / 2016

जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा0प्र0से0
सचिव, स्वास्थ्य-सह-
कार्यपालक निदेशक

सेवा में,

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति,
बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर,
मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण।

विषय:-शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में OPD पुर्जा (सुविधा शुल्क) राशि लागू करने के संबंध में।

महाशय,

विदित हो कि राज्य में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आपके जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही सभी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए रोगी कल्याण समिति (RKS) के गठन संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश प्रेषित की जा चुकी है।

सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि राज्य में संचालित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में OPD पुर्जा (सुविधा शुल्क) की राशि के तौर पर रू० 2/- (दो रूपये मात्र) की राशि मरीजों से ली जायेगी।

उक्त प्राप्त राशि को रोगी कल्याण समिति के लिए संधारित बैंक खाते में जमा की जायेगी तथा नियमानुसार इस राशि का उपयोग मरीजों को सुविधाएँ प्रदान करने एवं रोगी कल्याण समिति के उद्देश्यों, प्राथमिकताओं एवं दिशा-निर्देशानुसार तथा वित्तीय नियमानुसार की जायेगी। इसके अनुपालन की जवाबदेही संबंधित रोगी कल्याण समिति के सदस्य सचिव की होगी।

निदेश है कि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर OPD पुर्जा (सुविधा शुल्क) की राशि के तौर पर 2 रूपये मात्र की राशि लागू की जाय।

“हम शहरी स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने हेतु कृत संकल्प हैं”।

विश्वासभाजन

ह०/-

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)

ज्ञापांक..... 617.....

पटना, दिनांक : 27 / 04 / 2016

प्रतिलिपि:

- संबंधित जिला पदाधिकारी सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय अपर/उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक को सूचनार्थ एवं अधिनस्थ जिलों में अनुपालन करवाने हेतु प्रेषित।
- संबंधित जिलों के जिला कार्यक्रम प्रबंधक, को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- संबंधित जिलों के जिला स्वास्थ्य सलाहकार-NUHM को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

23/4

सचिव, स्वास्थ्य-सह-
कार्यपालक निदेशक

13/4



परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा,
पटना- 800 014,

स्वास्थ्य बिहार
समृद्ध बिहार

दूरभाष: 0612-2290340, 2281545, फैक्स: 2290322,
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



An ISO 9001:2008 Certified Agency

जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा0प्र0से0
सचिव, स्वास्थ्य-सह-
कार्यपालक निदेशक

File No. SHSB/SPM/217/2014
Letter No....., Dated.....

सेवा में,

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति,

बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास
सहरसा एवं सारण।

विषय:-शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर RKS का गठन, रात्रि सुरक्षा प्रहरी की उपलब्धता तथा OPD
Slip (सुविधा शुल्क) राशि के उचित रख-रखाव के संबंध में ।

प्रसंग: राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक-1765, दिनांक-09.03.2016 तथा पत्रांक-1038, दिनांक-15.02
2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्रानुसार आपके जिले में संचालित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु
केन्द्रों पर RKS का गठन करवाने तथा रात्रि सुरक्षा प्रहरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया
गया था परन्तु अभी भी पूर्णरूपेण RKS का गठन एवं सभी केन्द्रों पर रात्रि सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध नहीं कराया गया
है । विभिन्न बैठकों, Video Conferencing(VC), दूरभाष, ई-मेल एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निरीक्षण के
दौरान भी स्पष्ट रूप से यह निदेश दिया जाता रहा है कि सभी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर RKS का गठन
तथा रात्रि सुरक्षा प्रहरी की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय । इसके बावजूद भी पूर्णरूपेण
इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जो कि अत्यंत ही खेदजनक है ।

आपके जिले में संचालित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ओपीडी (सुविधा शुल्क) 2/- ₹0 की
राशि मरीजों से ली जा रही है जिसे RKS संधारित बैंक खाता में जमा किया जाना है जो कि RKS बैंक खाता नहीं
होने के कारण जमा नहीं करवायी जा सकी । प्रारम्भ से लेकर अब तक OPD शुल्क के मद में बड़ी रकम एकत्रित
हो गयी होगी जिसका उचित रख-रखाव एवं संरक्षण आवश्यक है ।

जब तक RKS का गठन एवं संबंधित बैंक खाता नहीं खुल जाता तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत
उक्त राशि को संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति को अपने संरक्षण या NUHM संधारित बैंक खाता में नियमित रूप
से जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए । RKS के गठन एवं खाता खुलने के उपरान्त उस राशि को संबंधित RKS
में हस्तांतरण किया जाएगा । इसके संपूर्ण अनुपालन की जवाबदेही संबंधित जिला लेखा प्रबंधक तथा पटना जिला
में शहरी स्वास्थ्य वित्त सलाहकार की होगी ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)

ज्ञापांक.....3061.....

पटना, दिनांक.....01/8/16.....

प्रतिलिपि: सभी संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाए, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित जिला लेखा प्रबंधक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: शहरी स्वास्थ्य वित्त सलाहकार-CPMU, जिला स्वास्थ्य समिति, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ
प्रेषित ।

सचिव, स्वास्थ्य-सह-
कार्यपालक निदेशक



AL

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Procurement

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Procurement of Drugs for UPHCs

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.4.4.1.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य के पूर्व से संचालित 14 जिलों यथा-बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण में कुल 81 UPHC तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में NUHM अंतर्गत आच्छादित 08 नये जिले यथा-औरंगाबाद, बक्सर, पूर्वी चम्परण, पश्चिमी चम्परण, जहानाबाद, नवादा, सीवान, वैशाली में कुल 18 नये UPHCs के लिए UPHC में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के दिशा-निर्देशानुसार ओपीडी में औषधियों के क्रय हेतु निम्नानुसार आवंटित की जा रही है।

कुल राशि रू० में : रू०- 249.84 लाख


वित्तीय दिशा-निर्देश :

क्र०सं०	जिला का नाम	राशि
1.	बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण	रू० 2,43,00,000 (3,00,000 प्रति UPHC)
2.	औरंगाबाद, बक्सर, पूर्वी चम्परण, पश्चिमी चम्परण, जहानाबाद, नवादा, सीवान, वैशाली तथा रोहतास के 02 नये UPHC	रू० 6,84,000 (38,000 प्रति UPHC)
	कुल	2,49,84,000

शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मानक के अनुसार दवाओं का क्रय आवश्यकतानुसार संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा NHM के दवाओं के लिये किये जाने वाले निविदा/क्रय के साथ ही NUHM के लिये भी दवाओं का क्रय किया जाना है तथा इस राशि की बुकिंग NUHM के FMR Code P.4.4.1.1 में किया जाना है। क्रय किये जाने वाले Drugs and Consumables की सूची अनुलग्नक-क पर संलग्न है।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो० मसऊद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं० : 9473197722/9386041609


SFM-NUHM


SPM-NUHM

Annexure-A

List of Drugs & Consumables under NUHM

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर):

Procurement of Drugs and Consumable

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर):P.4.4.3

Sl.No.	ProductName
1	AcetylsalicylicAcidtablets150mg (Aspirin)
2	Albendazole 400mg
3	AmoxicillinCapsules250mg
4	AmoxicillinTrihydrateDispersibletablets125mg
5	Atenololtablets50mg
6	Atorvastatin10mg
7	Azithromycin500mg
8	Bisacodyltablets5mg (Laxatives)
9	CalciumGluconatetablets500mg
10	CefadroxilKidtablets125mg
11	Cefadroxiltablet500mg
12	CefiximineTablets 200mg
13	ChloroquinePhosphatetablet250mg(150mgbase)
14	ChlorpheniramineMaleate tablets4mg (Anti Allergic)
15	CiprofloxacinTablets 250mg
16	Clotrimazole500mg
17	Dexamethasonetablets0.5mg
18	Diazepam tablets5mg
19	Diclofenacsodiumtablets50mg
20	Dicyclomine20mg
22	DiethylCarbamazineCitrate 50mg (Worm Infestation)
24	Domperidonetablets10mg (Nausea/Vomiting)
25	DoxycyclineCapsules100mg (Antibiotic)
27	Eteophyllinewiththeophyllinetablets (Asthma)
29	Fluconazoletablets150mg (Anti-Fungal)
30	Fluconazoletablets50mg
31	FolicAcid&ferroussulphatetablets(Large)
32	FolicAcid&ferroussulphatetablets(small)
33	FolicAcidtablets5mg
34	Glibenclamidetablets5mg (Anti Diabetes)
35	Glimepiridetablets 1mg
36	Glipizidetablets5mg
37	GentamicinEyeDrops0.3%w/v
38	GentionViolettopicalsolution
39	IV.fluids NS
40	IV.fluids RL
41	IV.fluids D10
42	IV.fluidsDNS
43	Ibuprofensuspension100mg/5ml
44	Inhaler beclomethasone
45	Inhaler salbutamol

SFM-NUHM


SPM-NUHM

46	Levocetirizine Dihydrochloride syrup
47	Metronidazole suspension 100mg/5ml
48	Neomycin, bacitracin & Polymixin-B ointment
49	Paracetamol syrup 125mg/5ml
50	Povidone iodine ointment 5%
51	Povidone iodine solution 5%
52	Reagent strips for estimating of Albumin & Glucose in urine
53	Salbutamol syrup 2mg/5ml
54	Silver Sulphadiazine Cream 1% (For burn)
55	Vitamin A solution 1 Lac IU/1ml

Sl.No.	Consumables for Dressing
--------	--------------------------

1	Absorbent Gauze (20m x 90cm)
2	Absorbent Cotton Wool
3	Adhesive tape 5cm x 10mtr
4	Adhesive tape 7.5cm x 10mtr
5	bandage Cloth (20m x 90cm)
6	Disposable Hypodermic needle size: 22 x 1"
7	Disposable Hypodermic needle size: 23 x 1"
8	Disposable Hypodermic needle size: 24 x 1"
9	Disposable syringe 2ml (Without needle)
10	Disposable syringe 5ml (Without needle)
11	Elastic Adhesive bandage size: 10cm x 2.70mtr
12	Infusion set
13	Rolled bandage (5m x 5cm)
14	Scalp Vein sets size: 24
15	Micropore Adhesive Paper tape size: 1.25
16	Disposable Gloves 6.5
17	Disposable Gloves 7


SFM-NUHM


SPM-NUHM

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Procurement

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Equipments for UPHCs

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.4.4.2.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में NUHM अंतर्गत आच्छादित 08 नये जिले यथा-औरंगाबाद, बक्सर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, जहानाबाद, नवादा, सीवान, वैशाली में कुल 18 नये UPHCs के लिए One Time UPHC पर चिकित्सकीय उपकरण यथा-स्टेथोस्कोप, बी0पी0 मशीन, टॉर्च, वेईहिंग मशीन एवं अन्य आवश्यक चिकित्सकीय उपकरण आदि का क्रय करने हेतु प्रति UPHC 50000/- रू0 आवंटित की जा रही है ।

कुल राशि रू0 में : रू0- 9.00 लाख


वित्तीय दिशा-निर्देश :

क्र0सं0	जिला का नाम	राशि
1.	औरंगाबाद, बक्सर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, जहानाबाद, नवादा, सीवान, वैशाली तथा रोहतास के 02 नये UPHC के लिये।	रू0 9,00,000 (50,000 प्रति UPHC x 18 UPHC)
	कुल	9,00,000

शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मानक के अनुसार आवश्यक चिकित्सकीय उपकरणों का क्रय आवश्यकतानुसार संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा बिहार वित्त नियमावली द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश का अनुपालन करते हुए किया जाएगा ।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो0 मसरुद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं0 : 9473197722/9386041609


SFM-NUHM


SPM-NUHM

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Outreach Services/Camps/UHNDS

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): UHNDS

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.4.5.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रत्येक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध सेवाओं से प्रत्येक अतिम व्यक्ति को जोड़ना है। साथ ही शहरी स्लम बस्तियों एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तक सुविधाओं को पहुँचाया जाये। उक्त हेतु जिलों द्वारा अर्न्त-विभागीय समन्वय स्थापित कर प्रत्येक मलीन बस्तियों में स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता की सेवाओं को समेकित रूप से उपलब्ध कराया जाना है। पूर्व से संचालित राज्य के 14 जिलों के 81 UPHC को इस मद में राशि उपलब्ध करायी जा रही है।

कुल राशि रू० में : रू० 29.60 लाख (36543.20 Per UPHC)

वित्तीय दिशा-निर्देश : शहरी स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता दिवस के आयोजन हेतु प्रत्येक UHNDS के लिये राशि 250/- रुपये उपलब्ध करायी जा रही है। प्रत्येक माह प्रति ए०एन०एम० द्वारा 4-UHND का आयोजन किया जाएगा। यह राशि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा निर्गत UHNDS दिशा निर्देश के अनुसार समुदाय में स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता तथा शुद्ध पेयजल पर जागरूकता फैलाने एवं UHNDS आयोजन करने हेतु जरूरी सामग्री पर खर्च किया जाएगा।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो० मसऊद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं० : 9473197722/9386041609


SFM-NUHM


SPM-NUHM

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Special Outreach Camps in Slums / Vulnerable areas

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Special Outreach Camps in Slums / Vulnerable areas

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.4.5.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रत्येक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध सेवाओं से प्रत्येक अतिम व्यक्ति को जोड़ना है। साथ ही ऐसी परिकल्पना है कि मलीन बस्तियों एवं रेलवे ट्रैक के किनारे अपना जीवन यापन करने वाले परिवारों तक सुविधाओं को पहुँचाया जाये। उक्त हेतु जिलों द्वारा अर्न्त-विभागीय समन्वय स्थापित कर प्रत्येक मलीन बस्तियों में स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता की सेवाओं को समेकित रूप से उपलब्ध कराया जाना है।

कुल राशि रू0 में : 83.70 लाख

वित्तीय दिशा-निर्देश :

क्र0सं0	जिला का नाम	राशि
1.	बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण	रू0 72,90,000 (10,000/-रू0 प्रति कैम्प x 9 कैम्प x प्रति UPHC x 81 UPHC)
2.	औरंगाबाद, बक्सर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, जहानाबाद, नवादा, सीवान, वैशाली तथा रोहतास के 02 नये UPHC	रू0 10,80,000 (10,000/-रू0 प्रति कैम्प x 6 कैम्प x प्रति UPHC x 18 UPHC)
कुल		83,70,000

Special Outreach Camps in Slums / Vulnerable areas के आयोजन हेतु प्रत्येक Special Outreach Camps के लिये राशि 10,000/- per camp उपलब्ध करायी जा रही है। Special outreach Camp का आयोजन जिला के द्वारा संबंधित UPHC, Urban ASHA, MAS and ANM के सहयोग से प्रतिमाह किया किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूर्व से संचालित प्रत्येक UPHC में 9 Special Out Reach Camp करवाया जाना है तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में चयनित 18 नये UPHC में 06 Special Outreach Camp करवाया जाना है। यह राशि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं Budget Break-up के अनुसार, समुदाय में स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता तथा शुद्ध पेयजल आदि पर जागरूकता फैलाने एवं Special health camp आयोजन करने हेतु जरूरी सामग्री पर खर्च किया किया जाना है।

- वित्तीय वर्ष 2017-18 में संपन्न किये जाने वाले Special outreach camp का UPHC wise लक्ष्य एवं विस्तृत बजट ब्रेक अप अनुलग्नक-“क” एवं “ख” में अवलोकन किया जा सकता है।
- Special outreach camp हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा पूर्व प्रेषित पत्रांक-8460, दिनांक-23.12.2015 अनुलग्नक-ख में अवलोकन किया जा सकता है।


संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो0 मसरुद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं0 : 9473197722/9386041609


SFM-NUHM


SPM-NUHM

अनुलग्नक- 'क'				
Budget Head : Special Outreach Camps in Slums / Vulnerable areas (FMR Code- P.4.5.2)				
UPHC wise Special Outreach Camps target in FY-2017-18				
Sl.No.	Name of District	No. of UPHC	Total Target Per District (09-Camp Per for existing UPHCs & 6 Camp for New UPHCs)	Total Amount(Rs 10000 Per Camp)
1	Aurangabad	1	6	60000
2	Begusarai	4	36	360000
3	Bhagalpur	8	72	720000
4	Bhojpur	4	36	360000
5	Buxar	1	6	60000
6	Darbhanga	6	54	540000
7	East Champaran	2	12	120000
8	Gaya	8	72	720000
9	Jehanabad	2	12	120000
10	Katihar	1	9	90000
11	Munger	5	45	450000
12	Muzaffarpur	4	36	360000
13	Nalanda	4	36	360000
14	Nawada	2	12	120000
15	Patna	24	216	2160000
16	Purnia	6	54	540000
17	Rohtas	5	39	390000
18	Saharsa	2	18	180000
19	Saran	2	18	180000
20	Siwan	2	12	120000
21	Vaishali	2	12	120000
22	West Champaran	4	24	240000
Total		99	837	8370000


SFM-NUHM


SPM-NUHM

अनुलग्नक- 'ख'

Budget Head : Special Outreach Camps in Slums / Vulnerable areas

FMR Code- P.4.5.2

Budget Break up of Special Out Reach Camp(Per Camp)

Cost for transportot ation	Cost for Miking(@Rs. 400/- per day/PA system x 2 days)	Cost for medicine	Cost for pathology test/Lab consumable s	Cost for staff hiring on Call Basis (Other than UPHCs Staff)			Contingency (Banner, Refreshment etc.)	Total
				Specialist Doctor-1	Lab Technincian-1	ASHA incentive		
Rs. 850/-	Rs. 800/-	Rs. 3500/-	Rs. 1500/-	Rs. 2200/-	Rs. 500/-	Rs. 150/-	Rs. 500/-	Rs. 10,000/-


SFM-NUHM


SPM-NUHM



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



An ISO 9001:2008 Certified Agency

जितेन्द्र श्रीवारतव, भा.प्र.से
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक:—SHSB/SPM/NUHM/Outreach camp / 256/2015.....

सेवा में,

1.सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति,
(बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, काटिहार, मुंगेर,
मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारन)

पटना, दिनांक:.....

विषय:— NUHM के अन्तर्गत विशेष दूरस्थ स्वास्थ्य शिविर (Special outreach camp, FMR Cod 4.1.2)
के आयोजन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश के संबंध में।

महाशय,

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य निगम का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीब आबादी एवं वंचित समूह के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना है। इसके तहत 50 हजार की आबादी पर एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन किया जा रहा है, जिसमें OPD सेवा मुफ्त दवा, चिकित्सीय सलाह, पैथालॉजी जांच आदि की सुविधा उपलब्ध है।

प्रायः ऐसा देखा गया है कि शहरी गरीब एवं वंचित समूह में रह रहे लोगों को जब तक गंभीर शारीरिक समस्या नहीं आती है तब तक वे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं जाते हैं, इसी विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए NUHM के तहत विशेष दूरस्थ स्वास्थ्य शिविर के आयोजन का प्रावधान किया गया है। इसके लिए जिलों को प्रति शिविर हेतु 10,000/- रुपये का आवंटन दिया गया है। शिविर का आयोजन जिलों में सभी स्वीकृत UPHC के स्वयं आबादी के समीप आयोजित की जानी है।

विशेष दूरस्थ स्वास्थ्य शिविर का उद्देश्य है कि शहरी आबादी एवं वंचित समूह में रह रहे लोगों के समीप ही प्रतिमाह स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाये, जिसमें स्वास्थ्य जांच, नि:शुल्क दवा वितरण, आवश्यक पैथालॉजी जांच, काउन्सलिंग, गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाये एवं यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी का शिकार है तो उसे उच्च स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर कर समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। विशेष दूरस्थ स्वास्थ्य शिविर के आयोजन हेतु 10,000/- रुपये का प्रावधान है जिसे अनुलग्नक 'क' के अनुसार खर्च किया जाना है।

शिविर का विस्तृत प्रतिवेदन विहित प्रपत्र (अनुलग्नक 'ख') में भरकर प्रत्येक माह के 5 तारीख को NUHM कोषांग के ई-मेल spmnuhmbihar@gmail.com पर भेजा जाना है।

अतः निर्देशित है कि उपरोक्तानुसार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन शत-प्रतिशत कराते हुए आवंटित धन राशि विनियमनानुसार खर्च कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक-यथोक्त

विश्वासभाजन,

ह0/-

(जितेन्द्र श्रीवारतव)

पत्रांक.....8460.....

पटना, दिनांक.....23/12/2015

प्रतिलिपि:

- सभी क्षेत्रीय उपनिवेशक स्वास्थ्य सेनाएं, बिहार को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- संबंधित जिलों के जिला कार्यक्रम प्रबंधक, को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- संबंधित जिलों के जिला स्वास्थ्य सलाहकार-NUHM, बिहार को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

23/12

कार्यपालक निदेशक

NY



परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा,
पटना- 800 014.

स्वास्थ्य बिहार
समृद्ध बिहार

दूरभाष: 0612-2290340, 2281545. फैक्स: 2290322.
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Regulation and Quality Assurance

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): QA Committees at City level Meeting

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.5.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य के पूर्व से संचालित 14 जिलों यथा-बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण में कुल 81 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में NUHM अंतर्गत आच्छादित 08 नये जिले यथा-औरंगाबाद, बक्सर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, जहानाबाद, नवादा, सीवान, वैशाली में कुल 18 नये UPHCs का संचालन किया जाना है। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से संस्था का गुणवत्ता अनुश्रवण किया जाना है। जिसके लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक ईकाई द्वारा प्रत्येक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भ्रमण/अनुश्रवण किया जाना है। इसका उद्देश्य RPMU द्वारा UPHCs का भ्रमण करते हुए वहां प्रदान किये जा रहे स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता की जांच करना एवं आवश्यक सुधार करते हुए संस्था को सुदृढ़ बनाना है।

कुल राशि रू० में : 8.91 लाख

वित्तीय दिशा-निर्देश : प्रत्येक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भ्रमण हेतु इस मद में प्रति UPHC 9000/-रू० की राशि संबंधित RPMU को आवंटित की जा रही है, जिसका उपयोग UPHC का भ्रमण/अनुश्रवण करते हुए अपेक्षित सुधार लाना है।

RPMU को आवंटित विस्तृत बजट शीट अनुलग्नक-“क” पर संलग्न है।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो० मसऊद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं० : 9473197722/9386041609

Annexure "A"
FMR Code P.5.1 (Quality Assurance)
UPHCs Details division wise

Name of Division	Sl. No.	Name of District	No. of UPHCs	Total No. of UPHCs in division	Amount
Bhagalpur	1	Bhagalpur	8	8	72000
Darbhanga	1	Darbhanga	6	6	54000
Koshi	1	Saharsa	2	2	18000
Magadh	1	Aurangabad	1	13	117000
	2	Gaya	8		
	3	Jehanabad	2		
	4	Nawada	2		
Munger	1	Begusarai	4	9	81000
	2	Munger	5		
Patna	1	Bhojpur	4	38	342000
	2	Buxar	1		
	3	Nalanda	4		
	4	Patna	24		
	5	Rohtas	5		
Purnia	1	Katihar	1	7	63000
	2	Purnia	6		
Saran	1	Saran	2	4	36000
	2	Siwan	2		
Tirhut	1	Muzaffarpur	4	12	108000
	2	West Champaran	4		
	3	East Champaran	2		
	4	Vaishali	2		
			99	99	891000


SFM-NUHM


SPM-NUHM

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Regulation & Quality Assurance

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Review Meeting

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.5.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अंतर्गत राज्य के पूर्व से संचालित 14 जिलों यथा-बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण UPHC का संचालन किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2017-18 में NUHM अंतर्गत आच्छादित 08 नये जिले यथा-औरंगाबाद, बक्सर, पूर्वी चम्परण, पश्चिमी चम्परण, जहानाबाद, नवादा, सीवान, वैशाली में कुल 18 नये UPHCs का संचालन किया जाना है । सभी UPHC पर NUHM के अंतर्गत उपलब्ध करायी जा रही सभी स्वास्थ्य सेवाएँ, सभी गतिविधियाँ एवं आवंटन के विरुद्ध व्यय की प्रगति की प्रत्येक माह समीक्षा जिला स्वास्थ्य समिति में संबंधित सभी UPHC के चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ आयोजित की जानी है । उक्त समीक्षा बैठक में संबंधित प्रमंडल के RAD, RPM एवं RAM को भी आमंत्रित किया जाना है ।

कुल राशि रू0 में : 1.62 लाख

वित्तीय दिशा-निर्देश :

समीक्षा बैठक के लिए प्रत्येक UPHC 1636/-रू0 आवंटित की जा रही है । समीक्षा बैठक का आयोजन जिला स्वास्थ्य समिति में या ए0एन0एम0 प्रशिक्षण स्कूल/सरकारी प्रशिक्षण स्थल पर किया जाएगा ।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो0 मसऊद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं0 : 9473197722/9386041609


SFM-NUHM


SPM-NUHM

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन
क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Selection and Training of ASHA

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Selection and Training of ASHA

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.6.1.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अंतर्गत राज्य के पूर्व से संचालित 14 जिलों यथा-बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण UPHC का संचालन किया जा रहा है तथा इसके अंतर्गत कुल 391 आशा का चयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में NUHM अंतर्गत आच्छादित 08 नये जिले यथा-औरंगाबाद, बक्सर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, जहानाबाद, नवादा, सीवान, वैशाली में कुल 18 नये UPHCs का संचालन किया जाना है तथा इसके अंतर्गत 171 नयी आशा का चयन किया जाना है। आशा के चयन के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाना है। चयन के उपरान्त सभी आशा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक आशा के लिए राशि 5000/- आवंटित हैं।

कुल राशि रू0 में : 28.10 लाख (Rs. 1,65,000 प्रति बैच (एक बैच में 33 प्रतिभागी) x 17 बैच)

वित्तीय दिशा-निर्देश :

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूर्व चयनित 391 आशा एवं 171 आशा का चयनोपरान्त उनका प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण संलग्न अनुलग्नक-"क" एवं "ख" के अनुसार क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई के द्वारा की जानी है। आशा का प्रशिक्षण राज्य स्तर से प्रशिक्षित प्रशिक्षकों (ToT) द्वारा दिया जाएगा। प्रशिक्षण का आयोजन प्रमंडलीय मुख्यालय स्तर पर ए0एन0एम0 प्रशिक्षण स्कूल/सरकारी प्रशिक्षण स्थल पर किया जाएगा।

यदि किसी आशा का चयन नहीं होती है या पद रिक्त रहता है या अन्य किसी कारण से प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षण में भाग नहीं लिये जाने के कारण राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाने की स्थिति में वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में पुनः जितने भी आशा कार्यरत हैं उन्हें एक Refreshment Orientation प्रदान करते हुए राशि का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाना है।

आशा के प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण में होने वाले व्यय का विस्तृत बजट आवंटन संलग्न अनुलग्नक-"क" एवं "ख" के अनुसार किया जाना है।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो0 मसऊद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं0 : 9473197722/9386041609


SFM-NUHM


SPM-NUHM

Annexure-Ä

Residential training For UPHCs ASHA

Duration of the training -	4 Days					
Participants -	UPHCs ASHA					
Venue -	Divisional level (ANM Training School/ Govt.Training Centre.					
Budget Break up (Per Batch of 33 Participants)						
Sl. No.	Time line	Particular	Unit Cost/per day	Total Participant	Total days	Total cost for 4 days/per batch of 33 Participants
1	2nd to 3rd QTR 2017-18	Stationary One Time (Pen, Note pad, Folder,Bag,Xerox etc.)	250	33	1	8250.00
2		Tea, Lunch	350	33	4	46200.00
3		Lodging (Dinner)	600	33	4	79200.00
4		TA per ASHA (To and From) Fixed	600	33	1	19800.00
5		TA for two resource person (To and From)	500	2	4	4000.00
6		Honorarium for two resource person @Rs650 for DCM/DAC/Consultan/Master Trainer /per day per person	650	2	4	5200.00
7		Miscellaneous(PA System, Projector, Banner,IEC Material,Photocopy etc.)	0	0	1	2350.00
Total						1,65,000.00


SFM-NUHM


SPM-NUHM

Annexure-"B"							
FMR Code P.6.1.1(Selection and Training of ASHA)							
Division Wise ASHA List							
Sl.No	Name of Division	Name of District	No. of UPHCs	Total No. ASHA	Total No. of Participants	No. of Batch	Amount
1	Bhagalpur	Bhagalpur	8	52	52	2	260000
2	Darbhanga	Darbhanga	6	32	32	1	160000
3	Koshi	Saharsa	2	28	28	1	140000
4	Magadh	Aurangabad	1	10	65	2	325000
		Gaya	8	17			
		Jehanabad	2	19			
		Nawada	2	19			
5	Munger	Begusarai	4	14	32	1	160000
		Munger	5	18			
6	Patna	Bhojpur	4	11	136	4	680000
		Buxar	1	10			
		Nalanda	4	10			
		Patna	24	65			
		Rohtas	5	40			
7	Purnia	Katihar	1	37	73	2	365000
		Purnia	6	36			
8	Saran	Saran	2	11	30	1	150000
		Siwan	2	19			
9	Tirhut	Muzaffarpur	4	39	114	3	570000
		West Champaran	4	37			
		East Champaran	2	19			
		Vaishali	2	19			
Total			99	562	562	17	2810000

SFM-NUHM

SPM-NUHM

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : ASHA urban Incentives

बजट/एफ एम आर शिर्षक (अनुलग्नक 2 के आधार पर): URBAN ASHA Incentives

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.6.1.2.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अंतर्गत राज्य के पूर्व संचालित 14 जिलों यथा-बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण के कुल 391 आशा का चयन किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में NUHM अंतर्गत आच्छादित 08 नये जिले यथा-औरंगाबाद, बक्सर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, जहानाबाद, नवादा, सीवान, वैशाली में कुल 18 नये UPHCs का संचालन किया जाना है तथा इसके अंतर्गत 171 नयी आशा का चयन किया जाना है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत शहरी आशाओं हेतु 1000/- प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। उक्त राशि का भुगतान इनके कार्य एवं लक्ष्यों के आधार पर किया जाना है।

कुल राशि रू0 में : 52.05 लाख


वित्तीय दिशा-निर्देश : शहरी आशा का चयनोपरान्त उनके द्वारा संपादित किये गये कार्यों के लिए नियमानुसार प्रोत्साहन राशि प्रतिमाह रू0-1000/- का भुगतान किया जाना है।

क्र0 सं0	जिला का नाम	राशि
1	बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण	46,92,000/- (रू0 1000 प्रति माह प्रति आशा x 12 माहx 391 आशा)
2	औरंगाबाद, बक्सर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, जहानाबाद, नवादा, सीवान, वैशाली तथा रोहतास में वित्तीय वर्ष 2017-18 02 नये UPHCs	5,13,000/- (रू0 1000 प्रति माह प्रति आशा x 03 माहx 171 आशा)
कुल		52,05,000

इस संदर्भ में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक-3645, दिनांक-29.08.16 एवं पत्रांक 2853 दिनांक 23.08.2017 द्वारा प्रेषित दिशा-निर्देश का अनुपालन करते हुए शहरी आशाओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाना है (संलग्न अनुलग्नक-“क”)।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो0 मसऊद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं0 : 9473197722/9386041609


SFM-NUHM


SPM-NUHM



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency



पत्रांक : SHSB/SPM/204/2014/.....

जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा0प्र0से0,
कार्यपालक निदेशक-सह-सचिव, स्वास्थ्य

सेवा में,

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव

जिला स्वास्थ्य समिति, पटना, रोहतास, भोजपुर, नालंदा, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया
सहरसा, बेगुसराय, सारण, गया, मुंगेर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बिहार।

विषय - राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत शहरी आशा से संलग्न विवरणी के अनुसार कार्यो को कराने
एवं प्रोत्साहन राशि के भुगतान के संबंध में।

पटना, दिनांक.....

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत बिहार के 14 जिलों के 15 शहरों में शहरी आशा का चयन किया जा रहा है। विदित हो कि जमीनी स्तर पर (स्लम क्षेत्रों) में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने हेतु प्रति 1000 से 2500 आबादी पर एक शहरी आशा का चयन किये जाने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आशा को विभिन्न कार्यो के लिए प्रोत्साहन राशि देय है। संलग्न विवरणी के अनुसार क्रमांक 01 से 08 में उल्लेखित कार्यो हेतु शहरी आशा को प्रोत्साहन राशि का भुगतान NUHM के ASHA Incentive (FMR Code- P.6.1.2) मद में उपलब्ध करायी गयी राशि से किया जाना है। साथ ही क्रमांक 09 से 28 में उल्लेखित कार्यो हेतु शहरी आशा को प्रोत्साहन राशि का भुगतान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के मद में आवंटित की गयी राशि से किया जाना है।

अतः उक्त के आलोक में निदेशित है कि सभी चयनित शहरी आशा को संलग्न विवरणी के अनुसार कार्य लेते हुये उनके प्रोत्साहन राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में प्रत्येक माह की 5वी0 तारीख तक कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त

विश्वासभाजन

ह0/-

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)

ज्ञापांक 3645

दिनांक 29/8/16

प्रतिलिपि :

- 1 : संबंधित जिला-पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 : सभी क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- 3 : राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, NUHM को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- 4 : कार्यपालक निदेशक कोषांग, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

26/8

कार्यपालक निदेशक-सह-सचिव, स्वास्थ्य



NUHM के अन्तर्गत शहरी आशा हेतु प्रोत्साहन राशि का विवरण

289

क्र० सं०	कार्यक्रम और संबंधित कार्य	प्रोत्साहन राशि	अभियुक्ति
1.	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आयोजित मासिक आशा दिवस में भाग लेने हेतु	150/-रुपये प्रति माह	NUHM के अंतर्गत
2.	महिला आरोग्य समिति के सदस्यों के साथ प्रतिमाह बैठक आयोजित करने हेतु।	150/-रुपये प्रति माह	
3.	माइक्रोप्लान के अनुसार अपने कार्य क्षेत्र में शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (UHSND) शत प्रतिशत आयोजित कराने के उपरान्त।	200/-रुपये प्रति माह	
4.	शहरी/बस्ती रजिस्टर को व्यवस्थित एवं अद्यतन करने हेतु	100/-रुपये प्रति माह	
5.	नियमित टीकाकरण हेतु ड्यूलिस्ट को प्रत्येक माह अद्यतन (Update) करने हेतु।	100/- रुपये प्रति माह	
6.	ए०एन०सी० हेतु गर्भवती महिलाओं की सूची प्रत्येक माह अद्यतन (Update) करने हेतु।	100/- रुपये प्रति माह	
7.	योग्य दम्पतियों की सूची प्रत्येक माह अद्यतन (Update) करने हेतु।	100/- रुपये प्रति माह	
8.	कार्यक्षेत्र में घरों के लाइन लिस्टिंग एवं उसको प्रत्येक माह अद्यतन किये जाने हेतु।	100/-रुपये प्रति माह	
9.	जननी एवं बाल सुरक्षा योजना		जननी एवं बाल सुरक्षा योजना के अंतर्गत
	प्रसव पूर्व जाँच 1 (12 सप्ताह के अंदर पंजीकरण सहित)	100/- रुपये प्रति केस	
	प्रसव पूर्व जाँच 2		
	प्रसव पूर्व जाँच 3		
	प्रसव पूर्व जाँच 4		
	आई०एफ०ए० 1	100/- रुपये प्रति केस	
	आई०एफ०ए० 2		
	आई०एफ०ए० 3		
	टी०टी० 1		
	टी०टी० 2		
	कुल	200/- रुपये प्रति केस	
	संस्थागत प्रसव हेतु (बी०सी०जी० टीकाकरण के उपरान्त)	200/- रुपये प्रति केस	
	कुल योग	400/- रुपये प्रति केस	
10.	आशा द्वारा महिला (15 से 49 वर्ष) की मृत्यु की सूचना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मृत्यु के 24 घंटे के अन्दर टेलीफोन के द्वारा देने पर।	200/-रु०. प्रति रिपोर्ट	मातृ मृत्यु समीक्षात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत
11.	प्रतिरक्षण/नियमित टीकाकरण		
	सत्र स्थल पर उस माह हेतु कुल लाभार्थी (गर्भवती महिला एवं 2 वर्ष से छोटे बच्चे) 90 % से अधिक लाभार्थी को टीका देने पर पर आशा को	200/- रु प्रति सत्र	

d

4

ML

M

	देय राशि		
	सत्र स्थल पर उस माह हेतु कुल लाभार्थी (गर्भवती महिला एवं 2 वर्ष से छोटे बच्चे) का 81 से 90 प्रतिशत लक्ष्य को टीका देने पर आशा को देय राशि	150/- रु प्रति सत्र	
	सत्र स्थल पर उस माह हेतु कुल लाभार्थी(गर्भवती महिला एवं 2 वर्ष से छोटे बच्चे) का 71 से 80 प्रतिशत लक्ष्य को टीका देने पर आशा को देय राशि ।	100/-- रु प्रति सत्र	
	कुल लाभार्थी का 70 से 60 प्रतिशत को टीका देने पर ।	कोई राशि नहीं	प्रतिरक्षण / टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत
	कुल लाभार्थी (गर्भवती महिला एवं 2 वर्ष से छोटे बच्चे) का 60 प्रतिशत से कम टीका देने पर।	आशा को हटाया जा सकता है।	
	1 वर्ष से छोटा बच्चा जिसे आज के दिन पूर्ण प्रतिरक्षित किया गया है, अर्थात् उस बच्चे को 1 बी.सी.जी., 3 डी.पी.टी., 3 हेप्टायटिस – बी, 3 ओ.पी.वी., 1 खसरा एवं 1 जापानी इंसेफलायटिस (जहां लागू हो).	100/- रु प्रति लाभार्थी	
	2 वर्ष से छोटा बच्चा जिसे आज के दिन सम्पूर्ण प्रतिरक्षण हो गया है (अर्थात् उस बच्चे को पूर्ण प्रतिरक्षण, डी.पी.टी. बूस्टर , ओ.पी.वी. बूस्टर , खसरा द्वितीय टीका एवं जापानी इंसेफलायटिस द्वितीय टीका (जहां लागू हो) ।	50/- रु. प्रति लाभार्थी	
	इसके अतिरिक्त विशेष राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अगर आशा के द्वारा कार्य किया जाता है तो भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार भुगतान किया जाना है।		
12.	पोलियो टीकाकरण हेतु (अगर Vaccinator का कार्य कर रही हों)	75/- रु0 प्रति दिन प्रति पोलियो चक्र।	पोलियो कार्यक्रम के अंतर्गत
	● संशोधित राष्ट्रीय यक्ष्मा (टी0बी0) नियंत्रण कार्यक्रम		
	(क) प्रति यक्ष्मा रोगी को इलाज का कोर्स कैट 1 दवा खिलाने के बाद देय राशि	1000/- रु0. प्रति केस	
	(ख) प्रति यक्ष्मा रोगी को इलाज का कोर्स कैट 2 दवा खिलाने के बाद देय राशि	1500/- रु0. प्रति केस	
13.	(ग) प्रति एम0डी0आर0 यक्ष्मा रोगी को इलाज का कोर्स कैट 4 के दवा खिलाने के पश्चात	उपचार के पूरे कोर्स के लिए 5000/- रुपये (आईपी के अंत में 2000/- रुपये और सीपी के अंत में 3000/-रु0 प्रति केस	टी0 बी0 कार्यक्रम के अंतर्गत
14.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम		

d

NY

AL

AL

	(क) कुष्ठ रोग के पाउसी-बैसीलरी (पी0बी0) मामलों में पूर्ण उपचार के लिए रेफरल और अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।	250/- रुपये (मामले का पता लगाने क लिए) + 400/- रुपये (अनुवर्ती उपचार के लिए) प्रति केस	लेप्रोसी कार्यक्रम के अंतर्गत
	(ख) कुष्ठ रोग के बहु - बैसीलरी मामलों में पूर्ण उपचार के लिए रेफरल और अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।	250/- रुपये (मामले का पता लगाने क लिए) + 600/- रुपये (अनुवर्ती उपचार के लिए) प्रति केस	
15.	<ul style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण - प्रत्येक दिन के लिए दैनिक भत्ता यात्रा भत्ता (आने एवं जाने के लिए) 	100/- रु0 प्रति दिन 100/- रु0 प्रशिक्षण के दौरान एक बार।	प्रतिदिन (प्रशिक्षण के दिनों में) प्रति प्रशिक्षण
16.	बंध्याकरण करवाने पर	200/- रु0 (नवम्बर 2014 से) प्रति केस	परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत
17.	नसबंदी करवाने पर	300/- रु0 (नवम्बर 2014 से) प्रति केस	
18.	प्रसवोपरांत परिवार नियोजन ऑपरेशन करवाने पर	300/-रु0 (नवम्बर 2014 से) प्रति केस	
19.	PPIUCD संस्थापन हेतु लाभार्थियों को सेवा का उपभोग करने हेतु उत्प्रेरित करने पर	150/- रु0 प्रति केस	
20.	आदर्श दम्पति योजना अंतर्गत आशा को उत्प्रेरित करने हेतु देय प्रोत्साहन राशि		आदर्श दम्पति योजना के अंतर्गत।
	आशा द्वारा नवविवाहित दम्पतियों को उत्प्रेरित कर शादी के दो वर्ष पश्चात पहले बच्चे का जन्म सुनिश्चित करवाने पर ।	500 रुपये प्रति दम्पति	
	आशा द्वारा एक संतान वाले दम्पतियो को उत्प्रेरित कर पहले बच्चे एवं दूसरे बच्चे के जन्म में तीन वर्षों का अंतराल सुनिश्चित कराने पर ।	500 रुपये प्रति दम्पति	
	आशा द्वारा दो बच्चों तक वाले दम्पतियों को उत्प्रेरित कर परिवार नियोजन का स्थायी विधि सुनिश्चित करवाने पर।	1000 रुपये प्रति दम्पति	
21.	गर्भनिरोधकों के सामाजिक विपणन		गर्भ निरोधकों के सामाजिक विपणन के अंतर्गत
	प्रति 3 पीस निरोध हेतु	1 रूपया	
	गर्भनिरोधक गोलियों(OC Pills) प्रति चक्र हेतु	1 रूपया	
	आपातकालीन गर्भनिरोधक (EC Pills) गोलियों हेतु	2 रूपया प्रति गोली	
22.	सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के लिए अधिकृत योजना (युक्ति योजना)- युक्ति योजना के अंतर्गत सुरक्षित गर्भपात सेवायें प्रदान करने हेतु सरकारी स्वास्थ्य संस्थान / जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा चयनित निजी स्वास्थ्य संस्थान पर जाने के लिए यात्रा व्यय के रूप में आशा को देय।	150/- प्रति केस	सुरक्षित गर्भपात कार्यक्रम के अंतर्गत
23.	कालाजार के मामले को रेफर करने और चिकित्सा पूर्ण हो जाने के उपरान्त	300/- रु0 प्रति केस	कालाजार कार्यक्रम के अंतर्गत

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'ML' and 'MS'.

24.	IRS Spray (D.D.T.) छिड़काव के दौरान 1000 जनसंख्या में सामुदायिक उत्प्रेरक के रूप में आशा को देय प्रोत्साहन राशि	100/- रू0 प्रति चक्र	
25.	जापानी इन्सेफेलाइटिस (जेई) / ए0ई0 एस0 के मामलों को नजदीकी सीएसी/ डीएच/ मेडिकल कॉलेज में रेफर करने के उपरांत	300/- रूपया प्रति केस	
26.	विटामिन ए चक्र के दौरान आशा (अगर Vaccinator का कार्य कर रही हों)	100/- रूपया प्रतिदिन (एक चक्र हेतु चार दिन के लिए 400/- रूपया।	
27.	मलेरिया		
	ब्लड स्लाइड तैयार करने पर।	ब्लड स्लाइड तैयार करने अथवा RDT के माध्यम से जाँच करने पर 15 रूपये	
	आरडीटी पॉजिटिव फाल्सीपेरम (पी0एफ0) मामलों के लिए पूरा इलाज उपलब्ध कराना।		मलेरिया कार्यक्रम के अंतर्गत
	दवा प्रणाली के अनुसार रक्त स्लाइड से पता लगाया पॉजिटिव पीएफ और पी0वी0 मामले को पूरा रेडिकल उपचार प्रदान कराना।	75/- रूपया प्रति केस	
28.	पोषण पुनर्वास केन्द्र (10 बेड)		
	अति कुपोषित बच्चा को पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती करने हेतु प्रोत्साहित कर पोषण पुनर्वास केन्द्र लाने पर।	50/- रूपया प्रति बच्चा	पोषण पुनर्वास केन्द्र के अंतर्गत
	अति कुपोषित बच्चा को पोषण पुनर्वास केन्द्र लाने हेतु वाहन भाड़ा के रूप में।	100/- रूपया प्रति बच्चा	
	अति कुपोषित बच्चा को पोषण पुनर्वास केन्द्र से छुट्टी के उपरांत घर तक पहुँचाने हेतु वाहन भाड़ा के रूप में।	100/- रूपया प्रति बच्चा	
	छुट्टी के उपरांत फॉलोअप हेतु अति कुपोषित बच्चा को पोषण पुनर्वास केन्द्र में लाने एवं घर पहुँचाने हेतु वाहन भाड़ा के रूप में	50/- रूपया प्रति फॉलोअप (25 रूपया आशा के लिए एवं 25 रूपया माता के लिए)	
	पोषण पुनर्वास केन्द्र (20 बेड)		
	अति कुपोषित बच्चा को पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती करने हेतु प्रोत्साहित कर पोषण पुनर्वास केन्द्र लाने पर।	50/- रूपया प्रति बच्चा	
	अति कुपोषित बच्चा को पोषण पुनर्वास केन्द्र लाने हेतु वाहन भाड़ा के रूप में।	100/- रूपया प्रति बच्चा	
	अति कुपोषित बच्चा को पोषण पुनर्वास केन्द्र से छुट्टी के उपरांत घर तक पहुँचाने हेतु वाहन भाड़ा के रूप में।	100/- रूपया प्रति बच्चा	
	छुट्टी के उपरांत फॉलोअप हेतु अति कुपोषित बच्चा को पोषण पुनर्वास केन्द्र में लाने एवं घर पहुँचाने हेतु वाहन भाड़ा के रूप में	50/- रूपया प्रति फॉलोअप (25 रूपया आशा के लिए एवं 25 रूपया माता के लिए)	



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



An ISO 9001:2008 Certified Agency

लोकेश कुमार सिंह, भा0प्र0से0
निर्देशक राधिव, स्वास्थ्य-सह-
कार्यपालक निदेशक

सचिका संख्या : SHSB/SPM/236/2015
पत्रांक : / / दिनांक : / / 2017

सेवा में,

सिविल सर्जन-सह-रादस्य राधिव,

जिला स्वास्थ्य समिति, बेगुसराय, भागलपुर, भाजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा
पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण।

विषय:-राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत शहरी आशा को ससमय प्रोत्साहन राशि भुगतान करने
के संबंध में।

प्रसंग:-राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक 3645, दिनांक 29.08.2016

महाशया / महाशय,

विदित हो कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत राज्य के 15 शहरों यथा-बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, दानापुर, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण में विभिन्न स्थानों पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (UPHCs) संचालित हैं तथा लक्षित समुदाय को स्वास्थ्य सवाएँ दी जा रही हैं।

2. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के सफल संचालन में शहरी आशा एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हैं जो कि समुदाय एवं UPHCs के बीच लिंक का काम करती हैं। जिलों से प्राप्त सूचनानुसार 391 के विरुद्ध 344 शहरी आशा का चयन किया गया है चयनित आशा का उन्मुखीकरण भी किया गया है।

3. राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्रांक 3645, दिनांक 29.08.2016 द्वारा शहरी आशा को उल्लेखित विभिन्न कार्यों के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की विवरणी आपको उपलब्ध करायी गई है। उक्त विवरणी के अनुसार इनके प्रोत्साहन राशि का भुगतान क्रमांक 01 से 08 तक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन ASHA Incentive (FMR Code P.6.1.2) मद में उपलब्ध करायी गयी राशि से तथा क्रमांक 09 से 28 में उल्लेखित कार्यों हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के मद में आवंटित राशि से किये जाने संबंधी निर्देश भी आपको दिया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

4. जिलों से प्राप्त FMR के विश्लेषण से यह ज्ञात हो रहा है कि आपके जिला द्वारा ASHA Incentive (FMR Code P.6.1.2) मद में व्यय राशि अकिन नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आशा का प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है जो खेदजनक है।

अतः निर्देश दिया जाता है कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शहरी आशा को कार्यालय पत्रांक 3645, दिनांक 29.08.2016 में संलग्न विवरणी के अनुसार देश प्रोत्साहन राशि का भुगतान उनके बैंक खाता में प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक: यथोक्त।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(लोकेश कुमार सिंह)



परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा,
पटना - 800 014.

स्वास्थ्य बिहार
समृद्ध बिहार

दूरभाष: 0612-2290340, 2281545, फैक्स: 2290322,
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

1/1

AL

12



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency



ज्ञापांक 2853

पटना दिनांक 23/8/17

- प्रतिलिपि:** संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** प्रशासी पदाधिकारी/अपर निदेशक (वित्त)/अपर निदेशक/वरीय उपसमाहर्ता/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (सभी राष्ट्रीय शोभ निर्यंत्रण कार्यक्रम सहित)/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक-NUHM/NHM/सभी उपनिदेशक, एवं सलाहकार, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य संघर्ष, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** टीम लीडर, आशा रिसोर्स सेन्टर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित। निदर्शित है कि आशा के अंतर्गत जिला स्तर पर कार्यरत जिला सामुदायिक उत्प्रेरक (DCM) तथा ब्लॉक स्तर पर कार्यरत ब्लॉक सामुदायिक उत्प्रेरक (BCM) के माध्यम से संबंधित जिला के सभी शहरी आशा के प्रोत्साह राशि का भुगतान सुनिश्चित करावे।
- प्रतिलिपि:** संबंधित जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी-सह-नांडल पदाधिकारी-NUHM को सूचनार्थ एवं उक्त का अनुपालन करवाने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** सभी क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई, बिहार/संबंधित जिला कार्यक्रम प्रबंधक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** संबंधित जिला/प्रशासी स्वास्थ्य सलाहकार-NUHM एवं CPMU, DHS पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव, स्वास्थ्य/सह-
कार्यपालक निदेशक

23/8/17

NK

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा,
पटना- 800 014.



स्वास्थ्य बिहार
समृद्ध बिहार



AL

दूरभाष: 0612-2290340, 2281545, फैक्स: 2290322.
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

Annexure "A"
FMR Code P.6.1.2.1 (ASHA Incentive)
Details of No. of ASHA UPHCs wise

Sl. No.	District & City	No.of sanctioned UPHC		No. of ASHA	Rs 1,000 p/m per ASHA
1	Aurangabad	1	Approved in 2017-18	10	30000
2	Begusari	4		14	168000
3	Bhagalpur	8		52	624000
4	Bhojpur	4		11	132000
5	Buxar	1	Approved in 2017-18	10	30000
6	Darbhanga	6		32	384000
7	East Champaran	2	Approved in 2017-18	19	57000
8	Gaya	8		17	204000
9	Jahanabad	2	Approved in 2017-18	19	57000
10	Katihar	1		37	444000
11	Munger	5		18	216000
12	Muzaffarpur	4		39	468000
13	Nalanda	4		10	120000
14	Nawada	2	Approved in 2017-18	19	57000
15	Patna	24		65	780000
16	Purnia	6		36	432000
17	Rohtas	5	02 UPHCs on rent approved 2017-18	40	309000
18	Saharsa	2		28	336000
19	Saran	2		11	132000
20	Siwan	2	Approved in 2017-18	19	57000
21	Vaishali	2	Approved in 2017-18	19	57000
22	West Champaran	4	Approved in 2017-18	37	111000
Total		99		562	52,05,000


SFM-NUHM


SPM-NUHM 

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Urban ASHA Drug Kits

बजट/एफ एम आर शिर्षक (अनुलग्नक 2 के आधार पर): ASHA Drug Kit

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर):P.6.1.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत अंतर्गत राज्य के पूर्व से संचालित 14 जिलों बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण के कुल 391 आशा का चयन किया गया है । चयनोपरान्त सभी आशा को ASHA Drug Kit प्रदान किये जाने हैं जिसके लिए प्रति Drug Kit हेतु रू0-644/- का प्रावधान किया गया है ।

कुल राशि रू0 में: 2,51,804 (Rs. 644 x 391 ASHA)

वित्तीय दिशा निर्देश : शहरी आशा को प्रदान किये जाने वाले ASHA Drug Kit का क्रय NRHM द्वारा निर्गत पूर्व दिशा-निर्देश के अनुसार तथा बिहार वित्त नियमावली का अनुपालन करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा ।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो0 मसऊद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं0 : 9473197722/9386041609



SFM-NUHM



AL
SPM-NUHM



राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन
कियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Untied Grants MAS

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Untied Grants-MAS

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.6.2.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अंतर्गत राज्य के पूर्व से संचालित 14 जिलों बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण में प्रत्येक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दिये गये दिशा-निर्देशानुसार महिला आरोग्य समिति (MAS) का गठन किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में NUHM अंतर्गत अच्छादित 08 नये जिलों में 22 नये UPHCs का चयन किया गया है। MAS के गठनोपरान्त प्रत्येक MAS के लिए एक पृथक बैंक खाता का संचालन किया जाना है। उक्त महिला आरोग्य समिति (MAS) को प्रतिवर्ष रू0 5000/- की Untied राशि दिया जाना है।
कुल राशि रू0 में : 42.15 लाख (Rs. 5000 x 843 MAS)

वित्तीय दिशा-निर्देश :


जिलावार MAS की संख्या एवं आवंटन अनुलग्नक-क में अवलोकन किया जा सकता है। MAS के गठन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा प्रेषित पत्रांक-6036, दिनांक-19.12.2016 एवं पत्रांक 622 दिनांक 11.05.2017 का अनुसरण किया जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो0 मसऊद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं0 : 9473197722/9386041609



SFM-NUHM

21/05/2017



SPM-NUHM

Annexure "A"

FMR Code P.6.2.1 (Untied Grant- MAS)

UPHC wise revised Target of Mahila Arogya Samiti (MAS) as per ROP 2017-18

Sl. No.	District & City	No.of sanctioned UPHC		No. of MAS	Rs 5,000 Per Year/ Per MAS
1	Aurangabad	1	Approved in 2017-18	9	45000
2	Begusari	4		34	170000
3	Bhagalpur	8		68	340000
4	Bhojpur	4		34	170000
5	Buxar	1	Approved in 2017-18	9	45000
6	Darbhanga	6		51	255000
7	East Champaran	2	Approved in 2017-18	17	85000
8	Gaya	8		68	* 340000
9	Jahanabad	2	Approved in 2017-18	17	85000
10	Katihar	1		9	45000
11	Munger	5		43	215000
12	Muzaffarpur	4		34	170000
13	Nalanda	4		34	170000
14	Nawada	2	Approved in 2017-18	17	85000
15	Patna	24		204	1020000
16	Purnia	6		51	255000
17	Rohtas	5	02 UPHCs on rent approved in 2017-18	42	210000
18	Saharsa	2		17	85000
19	Saran	2		17	85000
20	Siwan	2	Approved in 2017-18	17	85000
21	Vaishali	2	Approved in 2017-18	17	85000
22	West Champaran	4	Approved in 2017-18	34	170000
Total		99		843	42,15,000



SFM-NUHM



SPM-NUHM



राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Training of MAS

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Training of MAS

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.6.2.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अंतर्गत राज्य के पूर्व से संचालित 14 जिलों बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण में प्रत्येक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दिये गये दिशा-निर्देशानुसार महिला आरोग्य समिति (MAS) का गठन किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में NUHM अंतर्गत अच्छादित 08 नये जिलों में 22 नये UPHCs का चयन किया गया है। इन सभी UPHCs पर MAS के गठनोपरान्त प्रत्येक MAS का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। इसके लिए प्रति मास 5000/- रू० का प्रावधान किया गया है।


कुल राशि रू० में : 42.15 लाख

वित्तीय दिशा-निर्देश :

MAS के प्रशिक्षण संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा किया जाना है। विस्तृत Training Detail distrit wise and budget Break up (Annexure -A & B) में अवलोकन किया जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो० मसरुद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं० : 9473197722/9386041609


SFM-NUHM


SPM-NUHM

Annexure "A"

FMR Code P.6.2.2 (Training of MAS)

UPHC wise revised Target of Mahila Arogaya Samiti (MAS) as per ROP 2017-18

Sl. No.	District & City	No.of sanctioned UPHC		No. of MAS	Rs 5,000 per MAS
1	Aurangabad	1	Approved in 2017-18	9	45000
2	Begusari	4		34	170000
3	Bhagalpur	8		68	340000
4	Bhojpur	4		34	170000
5	Buxar	1	Approved in 2017-18	9	45000
6	Darbhanga	6		51	255000
7	East Champaran	2	Approved in 2017-18	17	85000
8	Gaya	8		68	340000
9	Jahanabad	2	Approved in 2017-18	17	85000
10	Katihar	1		9	45000
11	Munger	5		43	215000
12	Muzaffarpur	4		34	170000
13	Nalanda	4		34	170000
14	Nawada	2	Approved in 2017-18	17	85000
15	Patna	24		204	1020000
16	Purnia	6		51	255000
17	Rohtas	5	02 UPHCs on rent approved in 2017-18	42	210000
18	Saharsa	2		17	85000
19	Saran	2		17	85000
20	Siwan	2	Approved in 2017-18	17	85000
21	Vaishali	2	Approved in 2017-18	17	85000
22	West Champaran	4	Approved in 2017-18	34	170000
Total		99		843	42,15,000






SFM-NUHM



SPM-NUHM

Annexure-B						
ROP/FMR Budget Head:P. 6.2.2						
Budget Break up of Training of MAS						
Duration of Orientation-		1 Days				
Participants -		MAS Member				
Organised by -		District Health Society				
Budget Break up(Per MAS)						
Sl. No.	Time line	Particular	Unit Cost/per day	Per MAS	Total days	Total cost for 1 days Per MAS
1	2nd & 3rd Qtr.	Stationary (Pen, Note pad, Folder,Bag,NUHM Guidelines etc.)	1000	1	1	1000
2		Tea, Lunch	3250	1	1	3,250
3		Miscellaneous(Banner,IEC Material,Photocopy& Other Contingency etc.)	750	1	1	750
Total						5,000


SFM-NUHM


SPM-NUHM 

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : Innovations

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): PPP

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.7.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अंतर्गत राज्य के पूर्व से संचालित 14 जिलों यथा—बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण में प्रत्येक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मरीजों को मुफ्त Pathological Test सुविधाएँ प्रदान करने हेतु लोक निजी साझेदारी (PPP) के माध्यम से सभी केन्द्रों पर जांच सुविधाएँ दिये जाने हैं ।

कुल राशि रू0 में: रू0 116.64 /— लाख

वित्तीय दिशा-निर्देश :


प्रति UPHCs 1,44,000 राशि उपलब्ध करायी जा रही है।

- प्रत्येक UPHC के लिए लोक निजी साझेदारी के माध्यम से Pathological Test की जानी है जिसके लिए अनुमानित 200 Pathological Test प्रति UPHC प्रति माह किये जाने हैं ।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 में 6 माह के लिए लोक निजी साझेदारी के माध्यम से Pathological Test हेतु राशि का प्रावधान किया गया है ।
- लोक निजी साझेदारी के माध्यम से Pathological Test करवाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा प्रेषित की जा रही है ।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो0 मसरुद आलम/कुमार नयन
संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं0 : 9473197722/9386041609



SFM-NUHM



SPM-NUHM

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : IEC / BCC-NUHM

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): IEC / BCC-NUHM

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.9

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:

राज्य के 14 जिलों यथा-बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत कुल 81 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की गयी है तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में NUHM अंतर्गत अच्छादित 08 नये जिलों में 22 नये UPHCs का चयन किया गया है। सरकार की योजनाओं को आम जनमानस तक व्यापक रूप से पहुंचाने एवं उनके स्वास्थ्य देखभाल हेतु समाज को जनजागृत किया जाना है जिससे शहरी स्वास्थ्य मिशन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुलभ उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए प्रचार-प्रसार, आई0पी0सी0 प्रिंट मीडिया एवं अन्य माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सकता है।

कुल राशि रू0 में : 22.32 लाख

वित्तीय दिशा-निर्देश :

क्र0 सं0	जिला का नाम	राशि
1.	बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण	17,82,000 (22,000 / - प्रति UPHC x 81 UPHC)
2.	औरंगाबाद, बक्सर, पूर्वी चम्परण, पश्चिमी चम्परण, जहानाबाद, नवादा, सीवान, वैशाली	4,50,000 / - (25,000 / - प्रति UPHC x 18 UPHC)
कुल		22,32,000

उक्त राशि का व्यय राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के प्रचार-प्रसार के लिए UPHC पर पर्याप्त प्रचार-प्रसार, शहर के मुख्य रास्ते से UPHC तक Directional Signboard, प्रिंट मीडिया (यथा-समाचार-पत्र विज्ञापन, पम्पलेट, बैनर, होर्डिंग आदि), आई0पी0सी0, नुक्कड़ नाटक, माईकिंग, वाल पेंटिंग तथा आवश्यकतानुसार बिहार वित्त नियमावली का अनुपालन करते हुए राशि का उपयोग किया जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो0 मसरुद आलम/कुमार नयन

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं0 : 9473197722/9386041609


SFM-NUHM


SPM-NUHM

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश 2017-18

कार्यक्रम का नाम : EPF @13.36% for Staff Under NUHM

बजट/एफ एम आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर):

बजट क्रम संख्या/एफ एम आर संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): P.12

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:

राज्य के 14 जिलों यथा-बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत कुल 81 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की गयी है ।

सभी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत ए0एन0एम0ए, फार्मासिस्ट, DEO-Cum-LDC, 4th Grade, Night Security Gurad एवं राज्य तथा CPMU स्तर पर कार्यरत DEO का EPF @ 13.36% प्रतिमाह का प्रावधान किया गया है ।

कुल राशि रू0 में : 64.88 लाख

ईकाई राशि रू0 में:

Head	Salary Per Month	EPF Per Month @13.36%	No	Total EPF	Remarks
Data Entry Operator, SHSB	12500	1670	1	20,040	12 Months
Data Entry Operator, City PMU	12500	1670	1	20,040	12 Months
ANM, UPHC	11500	1536.4	405	31,11,210	5 Months
Pharmacist	12000	1603.2	81	7,79,155	6 Months
DEO-cum-LDC	8400	1122.24	81	10,90,817	12 Months
4th Grade	6300	841.68	81	8,18,113	12 Months
Security Guard	5000	668	81	6,49,296	12 Months
Total				64,88,671	

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का नाम : मो0 मसरुद आलम/कुमार नयन

संबंधित कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक का फोन नं0 : 9473197722/9386041609


SFM-NUHM


SPM-NUHM

वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org
फोन: 0612-2281545, 2290340, फैक्स: 2290322
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

